

24

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें  
(2022-23)

चौबीसवां प्रतिवेदन



लोक सभा सचिवालय  
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

**चौबीसवां प्रतिवेदन**

**ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति  
(2021-22)**

**(सत्रहवीं लोक सभा)**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**अनुदानों की मांगें  
(2022-23)**

**22 मार्च, 2022 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया**

**22 मार्च, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया**



**लोक सभा सचिवालय  
नई दिल्ली**

**मार्च, 2022 / फाल्गुन, 1943 (शक)**

सीओई सं. 348

मूल्य: रुपये.....

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम  
382 के अंतर्गत प्रकाशित और द्वारा मुद्रित

विषय सूची		
		पृष्ठ संख्या
	समिति (2021-22) की संरचना	6
	संक्षेपाक्षरों की सूची	8
	प्राक्कथन	11
<b>भाग - एक</b> <b>व्याख्यात्मक विश्लेषण</b>		
एक	प्रस्तावना	12
दो	मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022 -23)	15
तीन	मंत्रालय के विगत वित्तीय कार्यनिष्पादन की समीक्षा	19
	(क) बजट आवंटन और उपयोग	
	(ख) वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां	
चार	मंत्रालय के कार्यक्रम/योजनाएं: ग्रिड इंटरैक्टिव और ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा	22
	(क) सौर ऊर्जा	
	(i) सोलर रूफ-टॉप कार्यक्रम	
	(ii) ऑफ-ग्रिड/ विकेंद्रीकृत सौर कार्यक्रम	
	(iii) पीएम-कुसुम योजना	
	(iv) उत्पादकता सहबद्ध प्रोत्साहन योजना	
	(ख) जैव ऊर्जा कार्यक्रम	
	(ग) पवन ऊर्जा कार्यक्रम	
(घ) लघु पनबिजली		
(ङ) हरित ऊर्जा गलियारा		
(च) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन		
पांच	पूर्वोत्तर राज्यों और एससी/एसटी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	40
छह	नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास	43
सात	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत पीएसयू/ स्वायत्त निकाय	47
	(क) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास फ़ंजेंसी	

	(ख) भारतीय सौर ऊर्जा निगम (ग) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (घ) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (ङ) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान	
<b>भाग-दो</b> <b>समिति की सिफारिशें/टिप्पणियां</b>		53
<b>अनुबंध</b>		
एक	2021-22 के बीई और आरई की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान और 2020-21 का वास्तविक व्यय	65
दो	समिति की 22 फरवरी, 2022 को आयोजित बैठक का कार्यवाही-सारांश	68
तीन	समिति की 15 मार्च, 2022 को आयोजित बैठक का कार्यवाही-सारांश	72

## ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति

### लोक सभा

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री देवेन्द्र सिंह भोले
4. श्री हरीश द्विवेदी
5. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
6. श्री किशन कपूर
7. डॉ. ए. चैल्ला कुमार
8. श्री सुनील कुमार मंडल ^
9. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
10. श्री अशोक महादेवराव नेते
11. श्री प्रवीन कुमार निषाद
12. श्री पी. वेलुसामी
13. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
14. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल@
15. श्री जय प्रकाश
16. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
17. श्री एस. जानतिरावियम
18. श्री बेल्लाना चंद्रशेखर
19. श्री एस.सी. उदासी
20. श्री अखिलेश यादव
21. रिक्त #

### राज्य सभा

22. श्री अजीत कुमार भुयान
23. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
24. श्री राजेन्द्र गहलोत\*
25. श्री मुजीबुल्ला खान
26. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा

27. श्री एस. सेल्वागनबेथी\*
28. श्री संजय सेठ
29. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
30. श्री के.टी.एस. तुलसी
31. रिक्त \$

### सचिवालय

- |                             |   |               |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1. डॉ. राम राज राय          | - | संयुक्त सचिव  |
| 2. श्री आर.के. सूर्यनारायणन | - | निदेशक        |
| 3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा | - | अपर निदेशक    |
| 4. सुश्री दीपिका            | - | समिति अधिकारी |

---

^ श्रीमती साजदा अहमद के स्थान पर दिनांक 01.12.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए ।

@ श्री रमेश चन्द्र कौशिक के स्थान पर दिनांक 07.02.2022 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए ।

# समिति के गठन के समय से रिक्त ।

\* दिनांक 11.11.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए ।

\$ श्री जुगलसिंह लोखंडवाला द्वारा 02.12.2021 को समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिया गया।

संक्षेपाक्षरों की सूची	
एजेएवाई	अटल ज्योति योजना
बीई	बजट अनुमान
बीएचईएल	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
कैपेक्स	व्यय पूँजी
सीएसई	ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत संबंधी आयोग
सीएफए	केन्द्रीय वित्तीय सहायता
सीकेएम	सर्किट किलोमीटर
समिति	ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22)
सीपीएसयू/सीपीएसई	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/उद्यम
सीओपी -26	2021 में ग्लासगो में आयोजित पार्टियों के सम्मेलन का 26वां सत्र
सीआरएआर	पूँजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसीआर	देशी सामग्री की आवश्यकता
डिस्कॉम	वितरण कंपनी
डीएनईएस	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफआईटी	निर्धारित प्रशुल्क
एफवाई	वित्तीय वर्ष
एफएलएस	फीडर स्तर सौरीकरण
जीबीआई	उत्पाद आधारित प्रोत्साहन
जीबीएस	सकल बजटीय सहायता
जीसीसीए	पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान
जीईसी	हरित ऊर्जा कॉरिडोर
जीडब्ल्यू	गीगावाट
एचपी	हॉर्स पावर
आईईबीआर	आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन



आईपीओ	प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर
इरेडा	भारत अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
आईआरईपी	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम
आईएसटीएस	अंतर राज्य पारेषण प्रणाली
केडब्ल्यूएच	किलोवाट प्रति घंटा
एलपीजी	तरलीकृत प्राकृतिक गैस
एमएच	प्रमुख शीर्ष
मंत्रालय	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमएनआरई	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर
एमएसडब्ल्यू	नगरीय ठोस अपशिष्ट
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एमडब्ल्यूईक्यू	मेगावाट समतुल्य
एनसीपीआरई	राष्ट्रीय फोटोवोल्टिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र
एनईआर	उत्तर-पूर्व क्षेत्र
एनआईबीई	राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान
एनआईएसई	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान
एनआईडब्ल्यूई	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान
एनएनबीओएमपी	नवीन राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम
एनपीए	गैर निष्पादनकारी अस्तियां
ओएमसी	तेल विपणन कंपनियां
ओएफएस	बिक्री के लिए प्रस्ताव
पीएटी	कर पश्चात लाभ
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
पीईआरसी	पैसिवेटेड उत्सर्जक और रियर सेल
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पीएलआई	उत्पादकता सहबद्ध प्रोत्साहन
पीएम-कुसुम	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान
आरडीडी	ग्रामीण विकास विभाग

आर एंड डी	अनुसंधान और विकास
आरई	संशोधित अनुमान
आरईएससीओ	रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी
आरओडब्ल्यू	राइट ऑफ वे
आरटीएस	रूफ टॉप सौर ऊर्जा
एससी	अनुसूचित जाति
एसईसीआई	सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया
एसएचपी	लघु जलविद्युत
एसएनए	राज्य नोडल एजेंसी
एसओपी	मानक प्रचालन प्रक्रिया
एसपीवी	सौर फोटोवोल्टिक
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीयू	राज्य पारेषण कंपनी
टीएसपी	जनजातीय उपयोजना
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
वीजीएफ	व्यवहार्यता अन्तर वित्तपोषण
डब्लूआरएसटी	विश्व नवीकरणीय आध्यात्मिक ट्रस्ट

## प्राक्कथन

में, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022 -2023) के संबंध में समिति का यह चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड.(1)(क) के अंतर्गत अनुदानों की मांगों की जांच की।

3. समिति ने 22 फरवरी, 2022 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति मंत्रालय के प्रतिनिधियों को साक्ष्य हेतु इसके समक्ष उपस्थित होने और विषय संबंधी मामलों पर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद देती है।

4. समिति ने 15 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति इससे संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की उनके द्वारा दी गई सहायता के लिए सराहना करती है।

6. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं।

नई दिल्ली;

15 मार्च, 2022

24 फाल्गुन, 1943 (शक)

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,

सभापति,

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

**भाग - एक**  
**व्याख्यात्मक विश्लेषण**

**अध्याय - एक**

**प्राक्कथन**

1.1 1981 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत हेतु आयोग (सीएएसई) का गठन किया गया था इसकी जिम्मेदारी नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करना था तथा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु समन्वय तथा इसमें तेजी लाना था। 1982 में एक नया विभाग, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग (डीएनईएस) जिसमें सीएएसई को समाहित किया गया था ऊर्जा मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। 1992 में डीएनईएस का स्थान गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने लिया था। 2006 में मंत्रालय का नया नाम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) किया गया था जो की नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों संबंधी सभी मामलों में भारत सरकार का शीर्ष मंत्रालय है। मंत्रालय के कार्य इस प्रकार हैं:

- बायोगैस संबंधी अनुसंधान और विकास और बायोगैस इकाइयों संबंधी कार्यक्रम;
- ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत हेतु आयोग (सीएएसई);
- सौर ऊर्जा तथा सौर फोटो वोल्टिक उपकरणों (एसपीवी), उनका विकास, उत्पादन और अनुप्रयोग;
- 25 एम डब्ल्यू क्षमता तथा इससे कम के लघू परियोजनाएं सुक्ष्म/मिनी/संबंधी सभी मामले;
- उन्नत चुल्हे संबंधी कार्यक्रम तथा इससे संबंधित अनुसंधान;
- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी;
- अन्य गैरत और कार्यक्रमों संबंधी अनुसंधान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत/पारंपरिक-और विकास;
- ज्वारीय ऊर्जा
- एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी);
- जियोथर्मल ऊर्जा

**1.2** सरकार ने 31 दिसम्बर, 2022 तक 175 जी डब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसमें 100 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा, 60 जीडब्ल्यू पवन, 10 जीडब्ल्यू बायो विद्युत और 5 जीडब्ल्यू लघु जल विद्युत शामिल है। इसके अतिरिक्त जल-वायु परिवर्तन से जुड़े भारत के योगदान के रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने नवंबर, 2021 में गुलासगो में सीओपी-26 में 'पंचामृत' प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

- भारत गैर-जिवाश्म क्षमता को 2030 तक 500 जीडब्ल्यू तक बढ़ा लेगा;
- भारत 2030 तक 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेगा;
- भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन एक बिलियन टन तक कम करेगा;
- 2030 तक, भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम कर देगा
- 2070 तक भारत 'नेट शून्य' का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।

**1.3** 31 जनवरी, 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता की स्थिति निम्नानुसार है:

क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (जीडब्ल्यू)	कार्यान्वयनधीन	निविदा की गई	कुल संस्थापित पाइप लाइन (जीडब्ल्यू)
सौर ऊर्जा	50.30	41.45	17.79	109.54
पवन ऊर्जा	40.10	9.64	2.70	52.44
बायो ऊर्जा	10.61	0.00	0.00	10.61
लघु जल विद्युत	4.84	0.36	0.00	5.20
हाइब्रिड/24 घंटे/पिकिंग पावर/थर्मल+ नवीकरणीय ऊर्जा बन्डलिंग	0	5.69	4.55	10.24
<b>कुल</b>	<b>105.85</b>	<b>57.14</b>	<b>25.04</b>	<b>188.03</b>

**1.4** क्षेत्र में मंत्रालय की कम होती सक्रिय भागीदारी को देखते हुए इसकी भावी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर तथा इस तथ्य के मद्देनजर कि विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण संबंधी प्रमुख नीतियां और विनियमन विद्युत मंत्रालय द्वारा देख-देख की जाती हैं, मंत्रालय के सचिव ने बताया:

"कम से कम हमें दिशानिर्देश जारी करने हेतु अधिकार दिया जाए। विद्युत अधिनियम के कारण हमारे मंत्रालय को अपनी बोली लगाने संबंधी दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है तथा इसका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के तहत है। मैंने यह बात रिकार्ड में भी लाई है कि यदि आप नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से प्रगति करना चाहते हैं तो ग्रिड कनेक्टेड विद्युत एकल प्रशासनिक व्यवस्था के तहत होना चाहिए क्योंकि यदि हम मात्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को देखें और पारेषण या वितरण को नहीं तो सही नहीं है।"

**अध्याय - दो**  
**मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23)**

2.1 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 हेतु मांग सं. 70, 3 फरवरी, 2022 को संसद में प्रस्तुत किया। मांग संबंधी राजस्व और पूंजीगत शीर्ष के तहत दत्तमत प्रावधान निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में )

	राजस्व	पूंजी	कुल
प्रभारित	---	---	---
दत्तमत	6888.94	11.74	6900.68

2.2 मंत्रालय ने समिति को बताया कि व्यय विभाग ने कार्य आवंटन के अनुरूप अनुदानों की मांगों (2022-23) तथा इसके आगे मंत्रालय के कार्यक्रम शीर्षों का युक्तिकरण किया है। नए शीर्ष इस प्रकार हैं:

- सौर ऊर्जा
- जैव ऊर्जा कार्यक्रम
- पवन और अन्य अक्षय ऊर्जा के लिए कार्यक्रम
- सहायता कार्यक्रम
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
- भंडारण और पारेषण

2.3 वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों (बीई) और संशोधित अनुमानों (आरई) तथा वर्ष 2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय की तुलना में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों का विस्तृत ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

2.4 वर्ष 2022-23 हेतु मांगी गई आवंटन और वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राशि इस प्रकार है:

क्रम सं.	बहुआयामी योजना / योजना का नाम	मंत्रालय / विभाग द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान 2022-23	वर्ष 2022-23 के लिए अनुमोदित बजट अनुमान
1	सौर ऊर्जा	8775.08	5205.89
2	जैव ऊर्जा कार्यक्रम	292.59	100.00
3	पवन और अन्य अक्षय ऊर्जा के लिए कार्यक्रम	1518.00	1102.00
4	सहायक कार्यक्रम	138.10	80.03
5	हाइड्रोजन मिशन	0.00	0.01
6	भंडारण और पारेषण	600.00	300
<b>केन्द्रीय सेक्टर योजनाओं का कुल</b>		<b>11323.77</b>	<b>6787.93</b>
7	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	60.33	56.01
8	स्वायत्त निकायों	54.90	45.00
9	कार्यालय भवनों	10.00	11.74
<b>गैर-योजना का कुल</b>		<b>125.23</b>	<b>112.75</b>
<b>कुल योग</b>		<b>11449.00</b>	<b>6900.68</b>

**2.5** विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय में वृद्धि के कारण के बारे में मंत्रालय ने बताया:

"वर्ष 2022-23 के दौरान, मंत्रालय को 6900.68 करोड़ रु. का बजट अनुमान जारी किया गया है, जो वर्ष 2021-22 के लिए 5753 करोड़ रु. के बजट अनुमान में 19.95 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2022-23 के दौरान सौर योजनाओं, पीएलआई योजना और पीएम-कुसुम योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान की गई थी।"

**2.6** वर्ष 2022-23 के दौरान बजटीय आवंटन की पर्याप्तता ताकि वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हों, के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया:

"चूंकि अक्षय ऊर्जा की हाल की नीलामियों में रिकार्ड कम टेरिफ प्राप्त हुए हैं, इसलिए ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा, डिस्कॉमों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य बन गई है। इस प्रकार, व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए सहायता की मांग में विगत 2-3 वर्षों के दौरान काफी कमी आई है। देश में अधिकांश ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा



परियोजनाएं पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए निजी क्षेत्र के डेवलपर्स द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

तथापि, सौर ऑफ गिड कार्यक्रम, प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना आदि जैसे विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, जहां केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, पर निधियों की कमी के कारण प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, इन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के बाद संशोधित अनुमान स्तर पर अतिरिक्त निधियों की मांग की जाएगी।"

2.7 वित्त वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु वित्तीय आवंटन और वास्तविक लक्ष्यों के बारे में मंत्रालय ने निम्न जानकारी दी:

		ब.अ. 2022-23 (करोड़ रु में)	2022-23 के दौरान चालू की जाने वाल संभावित क्षमता/लक्ष्य
<b>क.</b>	<b>गैर-योजना घटक</b>		
I	<b>स्थापना व्यय</b>		
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	56.01	-लागू नहीं-
4810	कार्यालय भवन	11.74	--लागू नहीं-
II	<b>अन्य केन्द्रीय व्यय</b>		
	कुल - स्वायत्त निकाय/सीपीएसई	45.00	-लागू नहीं-
	कुल- स्थापना व्यय	112.75	-लागू नहीं-
<b>ख.</b>	<b>योजना घटक</b>		
I	<b>सौर ऊर्जा</b>		
	सौर (गिड)	3304.03	12000 मेगावाट
	सौर (ऑफगिड)	61.50	15.89 मेगावाट समतुल्य*
	कुसुम	1715.90	2000 मेगावाट
	अन्य अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोग	0.10	लंबित देयताएं
	बांडों पर ब्याज भुगतान और जारी करने का व्यय	124.36	-लागू नहीं-
	कुल- सौर ऊर्जा	5205.89	-

II	जैव ऊर्जा कार्यक्रम		
	जैव विद्युत (ग्रिड)	50.00	बायोमास (खोई): 122 मेगावाट अपशिष्ट से ऊर्जा: 59.7 मेगावाट समतुल्य
	जैव विद्युत (ऑफग्रिड)	20.00	बायोमास (गैर-खोई): 18.29 मेगावाट अपशिष्ट से ऊर्जा: 4.2 मेगावाट समतुल्य
	बायोगैस	30.00	शून्य (लंबित देयताएं)
	कुल - जैव ऊर्जा कार्यक्रम	100.00	-
III	पवन और अन्य अक्षय ऊर्जा के लिए कार्यक्रम		
	पवन विद्युत (ग्रिड)	1050.00	1750 मेगावाट
	पन विद्युत (ग्रिड)	50.00	100 मेगावाट
	पन विद्युत (ऑफग्रिड))	2.00	शून्य
	कुल - पवन और अन्य अक्षय ऊर्जा के लिए कार्यक्रम	1102.00	-
IV	सहायता कार्यक्रम		
	निगरानी एवं मूल्यांकन	0.10	-लागू नहीं-
	आईएंडपीए	6.00	-लागू नहीं-
	एचआरडी	30.93	फैलोशिप की सं. - 75 प्रशिक्षित मैनपावर - 5000
	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	8.00	-लागू नहीं-
	आर एंड डी	35.00	--लागू नहीं-
	कुल - सहायता कार्यक्रम	80.03	-
V	हाइड्रोजन मिशन		
	राष्ट्रीय हिरत हाइड्रोजन कार्यक्रम	0.01	तैयारी क्रियाकलापों हेतु धनराशि
	कुल - हाइड्रोजन मिशन	0.01	-
VI	भंडारण एवं पारेषण		
	हरित ऊर्जा कारिडोर	300.00	9700 सीकेएम पारेषण लाइनें और 22600 एमवीए सब स्टेशन (संचित लक्ष्य)
	कुल - भंडारण एवं पारेषण	300.00	-
	<b>सकल योग</b>	<b>6900.68</b>	-

## अध्याय - तीन

### मंत्रालय के विगत कार्य निष्पादन की समीक्षा

#### (क) बजट आवंटन और उपयोग

3.1 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और अतिरिक्त एवं अतिरिक्त बजटीय सहायता (आईईबीआर) सहित मंत्रालय का वर्ष-वार आवंटन और वास्तविक व्यय:

(रु. करोड़ में)

	2019-20			2020-21			2021-22		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (जनवरी 2021 तक)
जीबीएस	5254.83	3891.74	3562.11	5753.00	3591.00	3096.73	5753.00	7681.80	3199.55
आईईबीआर	12353.81	12466.32	10450.85	13726.74	10089.38	9505.56	11778.00	18974.19	9388.58
कुल	17608.64	16358.06	14012.96	19479.74	13680.38	12602.29	17531.00	26655.99	12588.13

3.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान बी.ई/आर.ई. में भिन्नता के कारण पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया:

"वर्ष 2019-20: वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय संशोधित अनुमान का 91.53 प्रतिशत था। ये कमियां विभिन्न योजनाओं के तहत किसी भी पूर्वोत्तर राज्य से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण थी।

वर्ष 2020-21: वर्ष 2020-21 के दौरान, 5753 करोड़ रु. के बजट अनुमान और 3591 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय 3096.73 करोड़ रु. था, जो संशोधित अनुमान का 86.24 प्रतिशत था। यह कमी मुख्य रूप से कोविड प्रसार और साथ ही, माह दिसम्बर, 2020 तक प्रत्येक माह के दौरान मासिक व्यय को बजट परिव्यय के 5 प्रतिशत तक सीमित रखने संबंधी आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के कारण हुई।

वर्ष 2021-22: वर्ष 2021-22 के दौरान, 5753.00 करोड़ रु. के बजट अनुमान की तुलना में 3199.55 करोड़ रु. का व्यय किया गया है, जो बजट अनुमान का 55.61 प्रतिशत था। निधियों का उपयोग कोविड की दो लगातार लहरों के कारण कम हुआ है। यह कमी वित्त वर्ष के अंत तक काफी हद तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है।"

3.3 गत वर्षों के दौरान बजटीय आवंटन का तिमाही-वार उपयोग के बारे में मंत्रालय ने बताया:

वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	तिमाही			
				पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी
2018-19	5146.63	5146.63	4477.80	940.52	1156.56	775.08	896.21
2019-20	5254.83	3891.74	3562.11	875.74	1861.40	304.29	520.68
2020-21	5753.00	3591.00	3006.73	854.90	855.62	692.59	603.62
2021-22	5753.00	7681.00	3244.66 (10 फरवरी 2022 तक)	418.02	1439.70	1212.33	174.61 (10 फरवरी 2022 तक)

3.4 यह पूछे जाने पर की क्या इन वर्षों के दौरान तिमाही व्यय वित्त मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार है, तो मंत्रालय ने बताया:

"तिमाही व्यय वित्त मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार है। यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक समीक्षा तंत्र पहले से ही मौजूद है कि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से व्यय किया गया है।"

3.5 पिछले वर्षों के दौरान ग्रिड-इंटरैक्टिव और ऑफ-ग्रिड अक्षय विद्युत के तहत वित्तीय आवंटन की तुलना में वित्तीय उपयोग के बारे में मंत्रालय ने बताया :

ग्रिड इंटरैक्टिव विद्युत			
वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय (संशोधित अनुमान का प्रतिशत)
2019-20	4272.15	3089.64	2811.07 (90.98%)
2020-21	4350.00	2689.48	2468.10 (91.77%)
2021-22	4324.48	4121.96	2654.59 (64.40%) (31.01.2022 तक)
ऑफ-ग्रिड अक्षय विद्युत			
2019-20	688	550.36	494.12 (89.78%)
2020-21	1184.20	557.93	322.61 (57.82%)
2021-22	1180.50	812.44	460.66 (56.70%) (31.01.2022 तक)

3.6 पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग ना किए जाने के कारण अभ्यर्पित बजटीय आवंटन के बारे में मंत्रालय ने बताया:

(करोड़ रुपये में )			
मुख्य शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21
3451 - सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3.00	3.79	2.061
2810 - नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा	177.93	1222.05	2091.449
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	381.17	172.00	342.24
4810 - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी पूंजीगत परिव्यय	22.00	-	-

### (ख) वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धि

3.7 गत वर्षों के दौरान लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियों के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया:

वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां									
क्र. सं.	कार्यक्रम/ प्रणाली	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (जनवरी-2022 तक)
<b>ग्रिड विद्युत ( क्षमता मेगावाट में )</b>									
1	पवन विद्युत	4000	1480.97	3000	2117.78	3000	1503.30	3260.8	853.88
2	लघु विद्युत	100	107.35	100	90.00	100	103.65	120.00	53.09
3	बायोमास	250	414.70	250	97.00	250	270.61	170.00	29.69
4	अपशिष्ट से विद्युत#	5	6.58	2	28.45	30	43.30	45.00	46.52
5	सौर विद्युत*	11200	6750.97	8900	6510.06	9500	5628.78	16040.1	9067.56
<b>अन्य अक्षय ऊर्जा प्रणालियां</b>									
6	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र (सं.लाख में)	1.00	0.27	0.76	0.30	0.60	0.20	\$	

\*सौर ऑफ ग्रिड/वितरित घटक शामिल

# अपशिष्ट से ऊर्जा ऑफ ग्रिड/ वितरित घटक शामिल

\$ इस कार्यक्रम को 2021-22 के दौरान लागू नहीं किया गया था क्योंकि ईएफसी ने वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए केवल पहले से ही प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखने की सिफारिश की है ।

## अध्याय - चार

### मंत्रालय के कार्यक्रम/योजनाएं :

### ग्रिड इंटरएक्टिव और आफ-ग्रिड नवीकरणीय विद्युत

#### (क) सौर ऊर्जा

4.1 मंत्रालय के अनुसार देश की सौर ऊर्जा क्षमता का अनुमान 748.99 जीडब्ल्यू है। 100 जीडब्ल्यू लक्ष्य की तुलना में 31.10.2022 तक संस्थापित क्षमता 50.303 जीडब्ल्यू है।

4.2 मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति आटोमेटिक रूट से दी है तथा सौर ऊर्जा में अधिकतर निवेश निजी क्षेत्र से है और कुछ सीपीएसयू से है जैसे एनटीपीसी लि., एनएचपीसी लि., एसजेवीएन लि., आदि। गत वर्षों के दौरान सौर ऊर्जा हेतु बजटीय आवंटन और वास्तविक व्यय, जैसा कि मंत्रालय ने बताया, इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2017-18	2259.00	1003.12	1001.33
2018-19	2045.25	2157.24	1903.76
2019-20	2479.90	1789.49	1529.28
2020-21	3517.60	1776.24	991.59
2021-22 (31-01-2022 तक)	3603.43	3375.52	2236.36

4.3 सौर ऊर्जा के बारे में वास्तविक उपलब्धि तथा लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया:

वित्त वर्ष	लक्ष्य	वर्ष के दौरान जोड़ी गई क्षमता (एमडब्ल्यू)	कुल क्षमता (एमडब्ल्यू)
2018-19	11000	6750.97	29097.18
2019-20	8500	6510.06	35607.24
2020-21	11000	5628.79	41236.03
2021-22	14000	9067.53	50303.56 (31.01.2022 तक)

## (क) (एक) रूफटॉप सौर कार्यक्रम

4.4 40 जीडब्ल्यू के कुल लक्ष्य की तुलना में रूफटॉप सौर कार्यक्रम के तहत प्रगति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया:

"रूफटॉप सौर कार्यक्रम के वर्तमान चरण II के तहत विभिन्न वितरण यूटिलिटी को कुल मिलाकर 3.162 गीगावाट क्षमता स्वीकृत की गई है जिसमें से 1.176 गीगावाट से अधिक की स्थापना किये जाने की सूचना दी गई है। देश में कुल मिलाकर 5.87 गीगावाट से अधिक की रूफटॉप सौर परियोजनाओं की स्थापना किये जाने की सूचना दी गई है (सीएफए के साथ या इसके बगैर)।"

4.5 रूफटॉप सौर कार्यक्रम की धीमी गति के कारण पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान पाई गई मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं:

- वेंडर सूचीबद्ध करने में देरी
- वेंडर सूचीबद्ध करने के बाद भी धीमी प्रगति
- डिस्कॉमों द्वारा वेंडरों को सीएफए जारी करने में देरी
- राज्य / डिस्कॉम के अन्य हिस्सों में आरटीएस संयंत्र स्थापित करने के लिए वेंडरों का इच्छुक नहीं होना
- एसओपी में विनिर्दिष्ट समय-सीमा की गैर-अनुपालना
- प्रचार-प्रसार और जागरूकता में कमी
- प्रतिबंधित क्यूआर के कारण सूचीबद्ध वेंडरों की संख्या में कमी
- प्रतिबंधित नियामक प्रावधान
- नेट-मीटरिंग में देरी / नेट मीटरिंग शुल्कों की उच्च लागत होना आदि

4.6 रूफटॉप सौर कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति ना होने के कारण मंत्रालय के सचिव ने बताया:

"..... डिस्कॉमों को रूफटॉप सौर कार्यक्रम के प्रति ज्यादा रुचि नहीं है। यदि वे नेट मिटरिंग करेंगे रूफटॉप सौर कार्यक्रम में उन्हें आय की हानि होगी।"

**(क) (दो) आफ ग्रिड/विकेन्द्रीकृत सौर योजनाएं**

4.7 आफ ग्रिड/विकेन्द्रीकृत योजनाओं की आवंटन की तुलना में वास्तविक व्यय के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया:

(करोड़ रुपये में)			
वित्त वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक व्यय
2019-20	525	491.02	455.84
2020-21	366.14	366.14	149.43
2021-22	237	210	98.07 (28.02.2022 तक)

4.8 सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों संबंधी वास्तविक उपलब्धियों तथा लक्ष्यों के बारे में मंत्रालय ने इस प्रकार बताया:

क्रम सं.	अनुप्रयोग	लक्ष्य 2018-19 (संचयी)	उपलब्धि 2018-19 (संचयी)	लक्ष्य 2019-20 (संचयी)	उपलब्धि 2019-20 (संचयी)	लक्ष्य 2020-21 (संचयी)	उपलब्धि 2020-21 (संचयी)	लक्ष्य 2021-22 (संचयी)	उपलब्धि 2021-22 (संचयी)
1	एसपीवी प्रणालियां (मेगावाट में)	2.5 मेगावाट	लागू नहीं	2.5 मेगावाट	0.2 मेगावाट	2.5 मेगावाट	2.05 मेगावाट	2.5 मेगावाट	2.5 मेगावाट
2	सौर स्ट्रीट लाइटें (संख्या)	1.75 लाख	लागू नहीं	1.75 लाख	0.03 लाख	1.75 लाख	0.69 लाख	1.75 लाख	1.46 लाख
3	सौर होम लाइटें	सौर होम लाइटों के लिए वित्तीय सहायता समाप्त कर दी गई है							
4	सौर पंप	पीएम-कुसुम योजना में सम्मिलित							
5	स्टडी लैंप (संख्या)	11.15 लाख	लागू नहीं	11.15 लाख	0.41 लाख	11.15 लाख	5.24 लाख	11.15 लाख	9.34 लाख

4.9 जब समिति ने सौर ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों के लक्ष्यों की प्राप्ति न किए जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया:

"यह योजना अगस्त 2018 में जारी की गई थी और राज्यों से अपनी मांगें भेजने का अनुरोध किया गया था तथा क्षमताएं आवंटित की गईं। तथापि, इसके तुरंत बाद मार्च 2019 में आम चुनावों के लिए



आचार संहिता लागू हुई और कार्यान्वयन में देरी हुई। तत्पश्चात निविदा प्रक्रिया पूरी की गई और वास्तविक कार्यान्वयन शुरू हुआ। तथापि, कोविड-19 के प्रसार के चलते लॉकडाउन लागू हो गया और इसलिए, वर्ष 2019-20 के दौरान तथा वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में प्रगति धीमी रही। योजना वर्ष 2020-21 तक वैध थी और इसलिए, दिनांक 31.03.2021 के बाद योजना के अंतर्गत कोई नई क्षमता स्वीकृत नहीं की जा सकती। मंत्रालय ने योजना का मूल्यांकन शुरू किया है और मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद इसे आगे जारी रखने पर विचार किया जाएगा।"

**4.10** अजय योजना सहित सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों संबंधी योजनाओं को पुनः आरंभ किए जाने की संभावना के बारे में मंत्रालय के सचिव ने बताया:

"इसे पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता है, हम योजना बनाने की प्रक्रिया में हैं, हम शीघ्र ही ईएफसी मेमो परिचालित करेंगे और आशा है कि आगामी 2-3 महिनों में योजना लागू हो जाएगी।"

**(क) (तीन) पीएम कुसुम योजना**

**4.11** पीएम कुसुम योजना (प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान) योजना के बारे में मंत्रालय ने बताया कि इसका लक्ष्य 34,000 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से 2022 तक 30.80 जीडब्ल्यू सौर क्षमता स्थापित करना है। योजना का तीन घटक है:

<b>घटक क</b>	10,000 एमडब्ल्यू ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्र (500 केडब्ल्यू से 2 एमडब्ल्यू क्षमता)
<b>घटक ख</b>	20 लाख स्टैंड अलोन सौर कृषि पंप की संस्थापना (7.5 एचपी तक)
<b>घटक ग</b>	15 लाख ग्रिड कनेक्टेड सौर कृषि पंप का सौरकरण (7.5 एचपी तक)

**4.12** कुसुम योजना के तहत कुल स्वीकृत और संस्थापित क्षमता जैसा कि मंत्रालय द्वारा बताया गया है इस प्रकार है:

घटक	स्वीकृत क्षमता	संस्थापित क्षमता
घटक क	4909 एमडब्ल्यू	27.75 एमडब्ल्यू
घटक ख	3. 59 लाख पंप	78,940 पंप
घटक ग	75,650 पंप 9,25,427 पंप (एफएलएस)	1026 पंप

**4.13** कुसुम योजना की धीमी प्रगति के कारण पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया:

"यह योजना मार्च 2019 में जारी की गयी थी और हितधारकों से परामर्श के बाद जुलाई 2019 में कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किये गए। राज्यों को अगस्त 2019 में क्षमताएं आवंटित की गईं। उनसे आवंटन की पुष्टि करने और आवंटित क्षमता के कार्यान्वयन के लिए राज्य के हिस्से की सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था। राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर वर्ष 2019-20 के उत्तरार्ध में क्षमताओं के लिए अंतिम स्वीकृति जारी की गई थीं। निविदा प्रक्रिया पूरी करने में समय लगा और इसके तुरंत बाद, कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन लगाया गया। इसी वर्ष 2019-20 के दौरान और 2020-21 की पहली छमाही के दौरान प्रगति कम रही। इसके अलावा, अधिकतर राज्यों ने पीएम-कुसुम योजना के तहत राज्य की सब्सिडी प्रदान करने के लिए बजट के राज्यांश में कटौती की जिससे अनुमान से कम उपलब्धियां रहीं। आशा है कि राज्यांश की सब्सिडी वर्ष 2021-22 के दौरान उपलब्ध होगी और लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा। घटक-क के तहत 2 मेगावाट तक की क्षमता के लघु सौर संयंत्रों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब कुछ बैंकों ने उचित वित्तीय उत्पादों की व्यवस्था की है। एमएनआरई, किसानों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।"

**4.14** इसके अतिरिक्त, कुसुम योजना के धीमे कार्यान्वयन के कारणों और मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए, मंत्रालय के सचिव ने निम्नवत वक्तव्य दिया:

"यह सच है कि पीएम कुसुम की घोषणा के बाद, घटक ए की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है, इसका कारण यह है कि किसानों की ऋण तक पहुंच नहीं है। मुझे यह बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि डिजाइन में ही कमी थी कि हमने वित्तपोषण पहलू को ध्यान में नहीं रखा। हमने इसे कृषि अवसंरचना निधि में शामिल करने के प्रयास किए हैं, ताकि 3% की ब्याज सहायता मिल सके। कृषि मंत्रालय ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। इस पर कृषि मंत्रालय द्वारा एक कैबिनेट नोट भी तैयार किया गया है। इससे हमें मदद मिलेगी। घटक ख के साथ समस्या केवल यह है कि राज्य सरकारों को कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण अपने हिस्से के 30% की व्यवस्था करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमने जिस वैरिएंट को डिजाइन किया है, फीडर स्तर का सौरीकरण, उसमें न तो राज्य सरकार की राजसहायता शामिल है और न ही इसमें किसानों का योगदान है। कुसुम की प्रगति के संदर्भ में कमियों को फीडर स्तर के सौरीकरण के माध्यम से कवर किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि घटक ख के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों और घटक ग के अंतर्गत व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े पंपों के सौरीकरण के लिए अप्रयुक्त निधियों, को फीडर स्तर के सौरीकरण के लिए डायवर्ट किया जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और राज्य सरकारों से काफी मांग प्राप्त हुई है। धीरे-धीरे काम भी शुरू हो रहा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आशा है कि फीडर स्तर के सौरीकरण के इस संस्करण के कारण अगले वर्ष कुसुम में बहुत प्रगति होगी, जिसमें न तो किसानों और न ही राज्य सरकार से किसी योगदान की आवश्यकता है।"

#### **(क) (चार) उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन योजना**

**4.15** उच्च दक्षता के सौर पीवी मोड्यूलों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

“भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यातों को बढ़ाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 28.04.2021 को 4500 करोड़ के परिव्यय के साथ उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना ‘राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मोड्यूल कार्यक्रम’ के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत ऐसे सौर पीवी मोड्यूलों की बिक्री पर उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) प्रदान कर उच्च दक्षता के सौर पीवी मोड्यूलों की समेकित विनिर्माण इकाइयों की स्थापना में सहायता करने का प्रावधान है। 4455 करोड़ रुपए की पीएलआई की राशि और उस समय उपलब्ध निधियों की मात्रा तक पीएलआई के 1 प्रतिशत की दर से 44.55 करोड़ रुपए के इरेडा के शुल्क के साथ 8737 मेगावाट क्षमता के पूर्णतः समेकित सौर पीवी मोड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना (पॉली सिलिकॉन+इंगोट-वेफर+सेल+मोड्यूल के विनिर्माण से संबंधित) के लिए 3 सफल बोली दाताओं को इरेडा द्वारा दिनांक 11.11.2021 और 02.12.2021 को अवार्ड पत्र जारी किए गए हैं। इस 8737 मेगावाट क्षमता की पूर्णतः समेकित सौर पीवी मोड्यूल विनिर्माण इकाइयों को तीन वर्ष की अवधि के भीतर चालू कर लिए जाने की संभावना है। वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में 19500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की गई है।”

#### **(ख) जैव ऊर्जा कार्यक्रम**

**4.16** मंत्रालय के अनुसार, देश में संचयी बायोमास और बैगैस क्षमता 42.31 गीगावाॅट है। 10 गीगावाॅट के समग्र लक्ष्य की तुलना में, 31.12.2021 को स्थापित क्षमता 10.18 गीगावाॅट है।

**4.17** जैव विद्युत कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्षों के दौरान उपयोग की तुलना में बजटीय आबंटन के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

(करोड़ रुपये में)				
वर्ष	बीई	आरई	उपयोग	उपयोग
	जैव विद्युत और अपशिष्ट से ऊर्जा दोनों		(बायोमास पावर परियोजनाएं)	(अपशिष्ट से ऊर्जा)
<b>ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं के लिए</b>				
2019-20	25	4.68	4.50	0
2020-21	75	14.15	6.22	0
2021-22	120	56.85	3.00 (28.02.2022 को)	0
<b>ऑफ ग्रिड परियोजनाओं के लिए</b>				
2019-20	50	10.03	0.96	0.82
2020-21	53	14.23	8.68	7.49
2021-22	70	36.48	8.17 (28.02.2022 को)	15.32 (28.02.2022 को)

**4.18** पिछले वर्षों में निधियों का उपयोग न किए जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने कहा कि:

"योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र केंद्रीय वित्तीय सहायता का वितरण तीन माह की अवधि के लिए संयंत्र के चालू होने और सफल निष्पादन के पश्चात किया जाता है। सीओडी शुरु होने की समयावधि बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए लगभग दो वर्ष है। परियोजना डेवलपर्स द्वारा सीएफए का दावा संयंत्र के सफल निष्पादन के बाद ही किया जाता है। इस प्रकार पात्र डेवलपर्स को सीएफए जारी करने में स्वीकृति की तिथि से लगभग 1-2 वर्ष का समय लगता है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2021 तक सृजित अधिकांश देयताओं की पूर्ति वित्त वर्ष 2022-23 तक ही की जाएगी। संयंत्रों के चालू होने में विलंब, संयंत्र द्वारा निष्पादन का प्राप्त नहीं होना और निरीक्षण में विलंब के उदाहरण रहे हैं जिससे निधियों का कम उपयोग हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निधियों के कम उपयोग का कारण कोविड-19 महामारी है।"

**4.19** विगत वर्षों के दौरान, जैव विद्युत कार्यक्रम के तहत लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

दोनों कनेक्टिड ग्रिड और ऑफ-ग्रिड		
वर्ष	लक्ष्य (मेगावाट)	उपलब्धि (मेगावाट)
2018-19	250	429.70
2019-20	250	240.55
2020-21	250	5.00
2021-22	350	30

4.20 अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियों के संबंध में ब्यौरे, जैसा कि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, नीचे दिए गए हैं-

वर्ष	लक्ष्य (मेगावाट)	उपलब्धि (मेगावाट)
2018-19	20	6.58
2019-20	12	28.4
2020-21	40	43.30
2021-22	60	46.52 (28.2.2022 को)

4.21 ऊर्जा से अपशिष्ट सहित जैव विद्युत कार्यक्रम को बंद करने के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय के सचिव ने निम्नवत बताया:

“हमारे पास ऊर्जा से अपशिष्ट के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है कि भारत में पहली बार, नगरपालिका अपशिष्ट से ऊर्जा क्षेत्र में तेजी आ रही थी और इस अर्थ में ये बहुत ही आशाजनक संकेत थे कि हमें इस योजना के तहत नगरपालिका अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए लगभग 27 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। किसी भी तरह वित्त मंत्रालय हमारे प्रस्तावों से सहमत नहीं था। हमारे पास 5000 करोड़ रुपये का परिव्यय था।”

4.22 नए राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी) के बारे में मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

“नवीन राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी) ग्रामीण ऊर्जा के लिए अक्षय ऊर्जा के तहत कार्यान्वित

किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मुख्यतः देश के ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी परिवारों की रसोई ऊर्जा और लाइटिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फैमिली टाइप के बायोगैस संयंत्र की स्थापना करना है। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर 31 मार्च, 2021 तक देश में कुल लगभग 50.80 लाख (5.08 मिलियन) फैमिली टाइप बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यह एनएनबीओएमपी योजना दिनांक 31.03.2021 तक वैध थी। दिनांक 31.03.2021 के बाद एमएनआरई के जैव ऊर्जा कार्यक्रम को केवल पहले से सृजित देयताओं को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि तक जारी रखा गया है और कोई नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की जानी हैं।“

**4.23** गत वर्षों के दौरान नए राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी) के अन्तर्गत बजटीय आवंटन और वास्तविक व्यय के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार जानकारी प्रदान की:

(रूपये करोड़ में)			
वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2017-18	134	93.50	67.70
2018-19	135	78	42.72
2019-20	100	51	34.68
2020-21	60	46.50	31.74
2021-22	95	25	5.65
			(28.2.2022 के अनुसार)

**4.24** गत वर्षों के दौरान लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

(लाख में)							
वित्त वर्ष 2018-19		वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22 (जनवरी, 2022 तक)	
वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि
1.00	0.27	0.76	0.30	0.60	0.20	-	-

**4.25** निरंतर लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:

i) बायोगैस संयंत्र की निर्माण लागत में वृद्धि मुख्य रूप से सीमेंट, बालू, ईंट और इस्पात एवं संबंधित उपकरण एवं सहायक सामान के मूल्यों में वृद्धि, जो कि बायोगैस संयंत्र की कुल लागत में प्रमुख योगदान देते हैं, के कारण कम घरेलू बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हुई है। इससे संभावित लाभार्थियों/परिवारों द्वारा बायोगैस संयंत्रों के लिए निवेश की अप्रॉफिट अधिकतम सीमा में काफी कमी आई है। सब्सिडी सहायता में भी संयंत्र की स्थापना की कुल लागत के 30 प्रतिशत तक कमी आई है। स्थापना की बढी हुई लागत का प्रभाव जानने और इस पर विचार करने के लिए, राज्य सरकार के विभागों/एसएनए आदि से कहा गया है कि वे एनएनबीओएमपी के तहत यथा अनुमोदित विभिन्न आकार के बायोगैस संयंत्रों की इकाई लागत का पुनः आकलन करें ताकि अपेक्षित स्तर की सहायता का आकलन किया जा सके।

ii) यद्यपि, बायोगैस संयंत्र जैविक समृद्ध जैविक खाद प्राप्त करने में भी मदद करते हैं, लेकिन लाभार्थी केवल रसोई ईंधन से इसकी तुलना करते हैं। जब रसोई की बात आती है तो एलपीजी की आसान उपलब्धता और बायोगैस संयंत्र की तुलना में लाभार्थी द्वारा वहन की जाने वाली कम अप्रॉफिट लागत और प्रचालन एवं रखरखाव में अपेक्षाकृत अधिक आसान होने के कारण एलपीजी एक बढ़ती हुई चुनौती है। समृद्ध तेल विपणन कंपनियों द्वारा घरेलू एलपीजी का व्यापक प्रचार करना और उनका बृहत व्यापार नेटवर्क भी एलपीजी का सकारात्मक पक्ष है, जो कि बायोगैस संयंत्रों के लिए नहीं है।

iii) कुछ राज्यों में एलपीजी कनेक्शन के पहले पंजीकरण में वित्तीय सहायता मिलने से भी संभावित बायोगैस के लाभार्थियों की बायोगैस संयंत्र को अपनाने से दूरी बढ़ी है।

iv) यद्यपि कुछ राज्यों के पास अच्छी क्षमता है लेकिन केंद्रीय सेक्टर की योजना, एनबीएमएमपी के लिए कम प्राथमिकता है।

v) उज्जवला योजना का प्रभाव।



vi) बैंक ऍडेड सब्सिडी/सीएफए सहायता और योजना के कार्यान्वयन के डीबीटी मोड में आने वाली समस्या। सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के ग्रामीण विकास विभागों को नई कार्यान्वयन एजेंसियां नामित करके यह विचार करते हुए कि उनके विस्तृत ग्राउण्ड नेटवर्क से संख्या बढ़ाने में सहायता मिलेगी, दिनांक 01.04.2018 से एनएनबीओएमपी शुरू किया गया था, लेकिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकांश ग्रामीण विकास विभागों ने वर्ष 2018-19 के दौरान कार्यान्वयन शुरू नहीं किया।

vii) अधिकांश नई नामित राज्य कार्यक्रम एजेंसियां मुख्यतः राज्य ग्रामीण विकास विभाग वर्ष 2019-20 के दौरान भी कार्यान्वयन आरंभ नहीं कर सके और मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस मुद्दे को उठाया है।“

#### (ग) पवन उर्जा कार्यक्रम

4.26 मंत्रालय ने बताया कि देश में अनुमानित पवन विद्युत क्षमता 120 मीटर पर 695.50 गीगावाट और जमीनी स्तर से 100 मीटर ऊपर 302.25 गीगावाट है। 31.01.2022 के अनुसार 60 गीगावाट के समग्र लक्ष्य की तुलना में पवन विद्युत की संचयी अधिष्ठापित क्षमता 40100.93 मेगावाट है।

4.27 गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधि की तुलना में निधि के उपयोग के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की और कहा कि ये पवन जीबीआई योजना की देनदारियां हैं जो 2017 में बंद हो गई थी:

(रु करोड़)			
वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	उपयोग की गई निधि
2019-20	920	1026	1026
2020-21	1299.35	1059.35	1059.35
2021-22	1100	1100	754.045 (दिनांक 28.1.2022 की स्थिति के अनुसार, शेष निधियों का उपयोग मार्च 2022 तक किए जाने की संभावना है)

**4.28** पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन के बारे में, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी प्रदान की:

“यह उल्लेखनीय है कि चालू की गई क्षमता और बजटीय नियतन के बीच कोई संबंध नहीं है। जीबीआई योजना के तहत 1050 करोड़ रु. का बजट नियतन किया गया है जिसका उपयोग पुरानी देयताओं का भुगतान करने में किया जाएगा। पवन उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, जो मार्च 2017 तक प्रचालन में थी, के तहत देयताओं को पूरा करने के लिए निधियों का उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में वित्त वर्ष के लिए हमारे पास पर्याप्त निधियां हैं। निजी डेवलपर्स द्वारा परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर नई पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है। सरकार द्वारा नई पवन विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए सीधे कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।”

**4.29** गत वर्षों के दौरान पवन विद्युत क्षेत्र में वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

वर्ष	लक्ष्य (एमडब्ल्यू)	उपलब्धि (एमडब्ल्यू)
2019-20	3000	2117.78
2020-21	3000	1503.3
2021-22	1750	854.625 (31.01.2022 तक)

**4.30** लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के कारणों के बारे में स्पष्टीकरण के लिए पूछे जाने पर मंत्रालय ने कहा कि:

“सरकार ने वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों की 175 गीगावाट स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिसमें पवन विद्युत से 60 गीगावाट शामिल है। फीड इन टेरिफ (एफआईटी) व्यवस्था के माध्यम से वर्ष 2017 तक क्षमता वृद्धि हुई थी (अर्थात 32.27 गीगावाट)। तत्पश्चात, टेरिफ व्यवस्था को फीड-इन-टेरिफ से बदलकर बोली के माध्यम से किया गया, जिससे परियोजनाओं की स्थापना में बाधा आई। साथ ही, हाल ही में परियोजनाओं में पिछले और वर्तमान वित्त वर्ष (अर्थात 2020-21 और 2021-22) के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है।”

#### (घ) लघु जल विद्युत

4.31 मंत्रालय ने बताया कि देश में चिन्हित 7133 स्थलों से देश में लघु जल विद्युत क्षमता 21.13 गीगावाट है। 31.01.2022 को 5 गीगावाट के समग्र लक्ष्य की तुलना, अधिष्ठापित लघु जल विद्युत क्षमता 4.84 गीगावाट है।

4.32 मंत्रालय द्वारा लघु जल विद्युत हेतु गत वर्षों के दौरान आवंटन की तुलना में निधियों के उपयोग का विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया गया है:

वर्ष	(रु करोड़ में)		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	उपलब्धि
2018-19	218.50	218.50	137.66
2019-20	190.90	94.14	77.28
2020-21	102.00	49.50	40.78
2021-22	92.00	66.00	16.86

4.33 आवंटित बजट का उपयोग न करने के कारणों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि:

“दिनांक 31.03.2017 को एसएचपी योजना 2014 बीत जाने के बाद कोई नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की जा सकी जिससे निधियों का उपयोग नहीं हो सका। केवल 31 मार्च, 2017 के पहले शुरू हुई परियोजना के लिए सृजित पुरानी देयता बजटीय नियतन से पूरी की जा रही है।”

4.34 गत वर्षों के दौरान लघु जल विद्युत के संबंध में वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी:

वर्ष	लक्ष्य (एमडब्ल्यू)	उपलब्धि (एमडब्ल्यू)
2018-19	100	107.35
2019-20	100	90.00
2020-21	100	103.64
2021-22	150	54.75

**4.35** जब समिति ने लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के बारे में पूछा, तो मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

“वर्ष 2019-20 के दौरान उपलब्धि 10 मेगावाट तक कम थी। लक्ष्य प्राप्त नहीं करने का कारण, एसएचपी परियोजनाओं का दुर्गम स्थानों में होना, पर्वतीय क्षेत्रों में अल्प कार्य समय और तीव्र बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं होना है।”

**4.36** लघु जल विद्युत कार्यक्रम के बारे में, मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार अभिसाक्ष्य दिया:

“लघु जल विद्युत के संबंध में, हम एक योजना बनाने की प्रक्रिया में हैं। किसी कारण से लघु जल विद्युत योजना 2017 के बाद से विद्यमान नहीं है और इसका कारण यह था कि एक लघु जल विद्युत योजना की आवश्यकता पर पीएमओ और नीति आयोग दोनों में बहुत चर्चा हुई। और अंत में, जब यह निर्णय लिया गया कि योजना की आवश्यकता है, तो कोविड के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा नई योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसलिए, सब कुछ विलंबित हो गया। अब, ईएफसी जापन परिचालित कर दिया गया है। ईएफसी की बैठक और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही यह योजना लागू होने की संभावना है।

### (ड) हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी)

**4.37** हरित ऊर्जा गलियारे की स्थिति के बारे में मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

“जीईसी के अंतर राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) घटक में कुल 3200 सीकेएम लंबी पारेषण लाइनें और 17000 एमवीए सब-स्टेशन शामिल हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा इस परियोजना का कार्यान्वयन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के माध्यम से किया गया है और यह मार्च, 2020 में पूरी हो चुकी है।

हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी) परियोजना का इंटर-स्टेट घटक संबंधित राज्यों की राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा कार्यान्वित किया जा

रहा है और राज्यों द्वारा कुल 84 पैकेजों में विभाजित किया गया है। 31.12.2021 की स्थिति की स्थिति के अनुसार, 9700 सीकेएम के कुल लक्ष्य में से कुल 8468 सीकेएम पारिषण लाइनें निर्मित की गईं हंस और 22600 एमवीए के कुल लक्ष्य में से 15268 एमवीए स्टेशनों को चार्ज किया गया है। दर्शाई गई प्रगति केवल उन सब-स्टेशनों को दिखाती है, जो चालू किए गए हैं और शेष सभी सब-स्टेशन निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।“

**4.38** जीईसी हेतु गत तीन वर्षों के दौरान उपयोग की तुलना में वित्तीय आवंटन के बारे में मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

(रु करोड़ में)

वित्त वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21
बजट अनुमान	600	500	300
संशोधित अनुमान	500	52.61	160
संवितरित निधि	500	52.61	159.53

**4.39** आवंटित धन का उपयोग न करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:

“अनुदान दो किशतों में वितरित किया जाता है: (क) कार्य प्रदान किए जाने पर अग्रिम के रूप में 70 प्रतिशत और ख) परियोजना चालू होने के तीन माह बाद शेष 30 प्रतिशत। बजट अनुमान की तुलना में नियतन निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण इस प्रकार हैं:

i) कुल परियोजनाओं के लिए कम बोली प्राप्त होने के कारण दोबारा निविदा जारी की गईं, जिससे कार्य प्रदान करने में विलंब हुआ (महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश)।

ii) कुछ परियोजनाएं रद्द करनी पड़ी क्योंकि नियोजित अक्षय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं पर आगे कार्य नहीं हो सका (राजस्थान)। तदनुसार, वैकल्पिक परियोजनाओं के लिए योजना बनाई गई और स्वीकृत की गई। ये परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

iii) कुछ परियोजनाएं कम बोली प्राप्त होने की वजह से रद्द करनी पड़ी (महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश)।

- iv) कुछ परियोजनाएं राज्य द्वारा रद्द कर दी गईं (आन्ध्र प्रदेश)।
- v) राज्यों ने केवल कुछेक परियोजनाओं के लिए ही 30 प्रतिशत का शेष अनुदान जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान चालू की गईं हैं। अधिकांश परियोजनाओं के लिए 30 प्रतिशत का शेष अनुदान जारी करने के लिए प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं।”

**4.40** मंत्रालय ने जीईसी कार्यक्रम के अंतर्राज्यीय भाग के तहत वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियों के बारे में निम्नवत बताया:

वित्त वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (दिनांक 31.12.2021 तक उपलब्धि)
पारेषण लाइनों का लक्ष्य - संचयी (सीकेएम)	3000	6000	8000	9000
निर्मित पारेषण लाइनें - संचयी (सीकेएम)	3500	6400	7965	8468
सब-स्टेशन क्षमता का लक्ष्य - संचयी (एमवीए)	4500	6800	15000	20000
चार्ज किए गए सब-स्टेशन - संचयी (एमवीए)	4757	6812	12638	15268

**4.41** हरित ऊर्जा गलियारे के पूरा होने में विलंब के कारणों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

“जीईसी के अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) के घटक में कोई विलंब नहीं हुआ। तथापि, सभी राज्यों में जीईसी परियोजना के इंटर-स्टेट घटक में मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) मामलों, सब-स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण निविदा जारी करने में विलंब, विभिन्न परियोजनाओं में कम बोली लगाए जाने के कारण कार्य प्रदान करने में विलंब, जिससे इसके लिए कई बार दोबारा निविदा जारी की गई, अदालती मामले, वन विभाग से स्वीकृति आदि जैसे विभिन्न कारणों से

विलंब हुआ है। राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों पर जीईसी परियोजना को चालू करने की समय-सीमा 30.06.2022 तक बढ़ाई गई है।“

#### (च) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

4.42 वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 लाख रुपये की टोकन राशि आवंटित की गई है।

4.43 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन की समय-सीमा के बारे में, मंत्रालय के सचिव ने निम्नानुसार अभिसाक्ष्य दिया:

“माननीय प्रधान मंत्री ने पिछले स्वतंत्रता दिवस भाषण में इसकी घोषणा की थी। हमने पहले इसे 31 दिसंबर, 2021 तक लक्षित किया था। अब, मुझे लगता है कि यह मार्च, 2022 से आगे जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक ईएफसी आयोजित किया है और एक और ईएफसी आयोजित किया जाना है। तत्पश्चात, यह कैबिनेट के पास जाएगा।”

4.44 मिशन के कार्यान्वयन में प्रत्याशित बाधाओं के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय के सचिव ने निम्नानुसार अभिसाक्ष्य दिया:

“इस मिशन की एक समस्या यह है कि इसमें शामिल होने वाले मंत्रालयों की संख्या बहुत अधिक है। पेट्रोलियम मंत्रालय शामिल है, उर्वरक मंत्रालय शामिल है, विद्युत मंत्रालय शामिल है, हम शामिल हैं और शिपिंग, इस्पात और परिवहन जैसे अन्य मंत्रालय भी शामिल हैं। यह एक बहुत ही भविष्योन्मुखी दस्तावेज है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विश्व भर में कार्यान्वयन के मामले में ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। इसलिए, हम एक भविष्योन्मुखी मिशन को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं।”

## अध्याय - पांच

### पूर्वोत्तर के राज्यों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु नवीकरणीय ऊर्जा

5.1 मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यान्वित कार्यक्रमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने यह बताया:-

"वर्ष 2022-23 के दौरान, मंत्रालय सौर ऊर्जा के निर्माण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सौर पार्क, सौर रूफटॉप, पीएम-कुसुम जैसी योजनाएं कार्यान्वित करेगा। साथ ही, लघु पन बिजली और बायो-गैस कार्यक्रम के तहत पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाएंगी क्योंकि ये योजनाएं बंद कर दी गई हैं।"

5.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में विगत वर्षों के दौरान वित्तीय आबंटनों की तुलना में किए गए व्यय के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने यह बताया :-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2018-19	504.53	504.53	122.41
2019-20	513.00	375.00	128.0850
2020-21	565.00	335.00	107.4126
2021-22	565.00	499.00	38.62

(31 जनवरी 2022 तक)

5.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में विगत वर्षों के दौरान वास्तविक उपलब्धियों के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने यह बताया :-

ग्रिड संबद्ध (मेगावाट में)				
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (31 जनवरी 2022 तक)
सौर ऊर्जा	19.64	27.1	5.17	24.28
लघु पन बिजली	28.0	0	0	0
बायोमास	0	0	2	0



ऑफ-ग्रिड/विकेंद्रीकृत (संख्या में)				
होम लाइटिंग सिस्टम	23150	-	-	-
सौर पंप	-	-	63	421
सौर स्ट्रीट लाइट	6132	3264	43838	52315
सौर स्टडी लैंप	466910	192152	385732	362995
बायोगैस संयंत्र	441	615	978	-

**5.4** जब समिति ने पूर्वोत्तर राज्यों को आबंटित की गई निधियों का उपयोग कम किए जाने के कारणों के बारे में पूछा तो मंत्रालय ने यह बताया:-

- "कम सौर विकिरण एवं पवन विद्युत घनत्व के कारण, ऐसी परियोजनाओं की उपलब्धि कम होती है और दूरदराज आदि कारणों से लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके चलते अधिक टेरिफ होता है और डिस्कॉमों के लिए इसे खरीदना अव्यवहार्य हो जाता है। इन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से दी गई सब्सिडी और वीजीएफ के साथ भी इस योजना का बहुत कम लोग लाभ उठाते हैं क्योंकि यूटिलिटी के लिए अपने राज्य में पैदा करने की बजाय अन्य राज्यों से सस्ती विद्युत खरीदना अधिक सस्ता होता है।
- पवन और सौर विद्युत परियोजनाओं में अधिक भूमि आवश्यक होती है जिसके लिए आसान पहुंच होने के साथ व्यापक समतल भू-भाग में छायामुक्त भूमि आवश्यक होती है, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह में प्राप्त होना मुश्किल होता है।
- इन क्षेत्रों में ग्रिड संबद्ध सौर एवं पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों का प्राप्त नहीं होना लक्ष्य की प्राप्ति को अधिक मुश्किल बना देता है।"

**5.5** साक्ष्य के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र को आबंटित की गई निधियों का उपयोग कम होने के कारणों को और आगे स्पष्ट करते हुए मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित साक्ष्य दिया:

" .....मांग कम रही है और यह बात भी है कि पूर्वोत्तर में संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बहुत अनुकूल नहीं है ।"

5.6 अ.जा. और अ.ज.जा. घटकों के अंतर्गत किए गए वित्तीय आबंटन की तुलना में वित्तीय व्यय के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वित्त वर्ष	अनुसूचित जाति घटक			अनुसूचित जनजाति घटक		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2021-22 (जनवरी 2022 तक)	469.00	414.00	159.38	486.00	429.00	129.13
2020-21	469.00	278.00	206.21	486.00	288.00	204.99
2019-20	426.00	311.00	284.88	441.00	322.00	279.92
2018-19	217.00	217.00	122.00	217.00	217.00	188.18
2017-18	184.00	143.00	139.54	92.00	73.00	71.06
2016-17	168.00	144.00	122.50	87.00	72.00	69.51

## अध्याय - छह

### नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान, अभिकल्प और विकास

6.1 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान, अभिकल्प और विकास हेतु किया गया बजट आबंटन और वास्तविक व्यय का मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2018-19	94.00	43.00	25.43
2019-20	60.00	15.00	14.52
2020-21	20.00	49.00	36.47
2021-22	75.00	27.50	10.78 (31 जनवरी 2022 तक)

6.2 जब समिति ने लक्ष्य प्राप्त नहीं होने और निधियों का कम उपयोग होने के कारणों के विषय में पूछा, तो मंत्रालय ने यह बताया:-

"आरएंडडी परियोजनाएं सामान्यतः तीन से चार वर्षों की अवधि के लिए होती हैं और उससे संबंधित प्रयास सतत प्रकृति की होते हैं। विभिन्न लक्ष्यों को हासिल किए जाने और चालू परियोजनाओं के समुचित मूल्यांकन के बाद धनराशि जारी की जाती है।"

6.3 यह पूछे जाने पर कि विगत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में संचालित किए गए प्रमुख कार्यक्रम/अनुसंधान एवं प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या हैं, तो मंत्रालय ने यह बताया:-

"सौर प्रकाशवोल्टीय, सौर तापीय, हाइड्रोजन, फ्यूल सेल और पवन सौर हाइब्रिड प्रणालियों के क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गयी थी।

क. एक आरएंडडी परियोजना के तहत, बीएचईएल ने कंट्रोल्ड वेफर पर 6 इंच X 6 इंच पर 21% क्षमता के साथ एक पीईआरसी सौर सेल

विकसित किया है और 22% क्षमता के लक्ष्य के लिए प्रयास किया जा रहा है।

ख. आईआईटी, बॉम्बे में एक राष्ट्रीय प्रकाशवोल्टीय अनुसंधान एवं शिक्षा केन्द्र (एनसीपीआरई) के तहत परियोजना के तहत, एक उच्च क्षमता के क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सौर सेल की 6 इंच X 6 इंच पर 19.4 % क्षमता हासिल की गयी थी।

ग. अन्य सामग्रियों का प्रयोग करके सौर सेल विकसित करने के लिए आरएंड डी/ शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान की गयी थी। आईआईटी बॉम्बे ने 20.6% क्षमता के साथ पर्वोस्काइट सौर सेल विकसित किया है और यह अन्य चरण में है। फ्लेक्सिबल पर्वोस्काइट सौर सेल और इंटरमीडिएट मॉड्यूल, जिनका टी80>10000 घंटे के साथ >18% क्षमता के लेमिनेटेड रोल टू रोल डिवाइस का लक्ष्य है, विकसित किए जा रहे हैं।

घ. तमिलनाडु में एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में स्वदेशी सिलिकॉन इंगोट तैयार किया गया है और देश के विभिन्न भागों में विभिन्न स्थानों के लिए किफायती विश्वशनीय सौर आधारित स्वच्छ पेय जल प्रणालियां स्थापित की गयी हैं।

ड. तापीय और विद्युत उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रदर्शन हेतु सौर तापीय प्रणाली और घटक के विकास के लिए सहायता प्रदान की गयी थी। वर्ल्ड रिन्युएबल स्प्रिचुअल ट्रस्ट (डब्ल्यूआरएसटी), मुंबई द्वारा माउंट आबू में 16 घंटे तापीय भंडारण के साथ एक 1 मेगावाट समतुल्य सौर तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है।

च. आईआईएससी बंगलौर ने सौर तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए उच्च क्षमता के रिसीवर के साथ एक सुपरक्रिटिकल कार्बन डाईआक्साइड टर्बोमशीनरी विकसित की है, जो कि क्लोज लूप कार्बनडाईआक्साइड साइकल वाटरलेस सोलर थर्मल पावर प्लांट के लिए अगला कदम होगा।

छ. सीएसआईआर- केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, गुजरात और एनआईटी- अगरतला ने प्राकृतिक रबड़ शीटों को सुखाने के लिए प्रदर्शन यूनिट के रूप में एक 5 कि.ग्रा. सौर ड्रायर

विकसित किया है, जिसे एनआईटी-अगरतला में स्थापित किया गया है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग करके तेजी से रबड़ को सुखाने के लिए उपयोगी है।

ज. हाईड्रोजन और फ्यूल सेल में अनुसंधान और विकास हाइड्रोजन उत्पादन से स्टेशनरी और ट्रांसपोर्ट अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण हेतु प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन पर बल दिया गया।"

**6.4** यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2022-23 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में आर एंड डी सहायता के लिए चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं, तो मंत्रालय ने यह बताया:-

"प्रौद्योगिकियों/ प्रणालियों/ घटकों के विकास, प्रदर्शन, परीक्षण, मानकीकरण और मान्यकरण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें स्वदेशी विकास और विनिर्माण के लिए अनुप्रयोग उन्मुखी आरएंडडी, क्षमता सुधार, विश्वसनीयता और किफायतता पर बल दिया जाएगा। उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- सौर तापीय में बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन और औद्योगिक प्रसंस्करण/हीट, भंडारण प्रणालियों, हाइब्रिडाइजेशन आदि के लिए सौर तापीय प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है।
- सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) में, सिलिकॉन पीवी क्षमता के सुधार लाने, लागत में कमी लाने, नई सामग्री का प्रयोग करके सौर सेलों का विकास करने, सैंड से सिलिकॉन सामग्री के उत्पादन, माइयूल गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने, एसपीवी प्रणालियों के लिए सहायक संरचना के लिए मानक डिजाइनों के विकास, सौर सेलों और माइयूलों, इन्वर्टर, पावर कंडीशनिंग यूनिटों, ग्रिड एकीकरण आदि के लिए सामग्री और फैब्रिकेशन सामग्रियों पर बल दिया गया है। इसके अलावा, भंडारण समाधानों पर बल दिया जाएगा।
- बायोगैस में बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में, बायोगैस संयंत्रों के सक्षम और किफायती डिजाइनों का विकास, बायोगैस संयंत्रों के मल्टीपल डिजाइनों का मानकीकरण, बायोगैस स्लरी आधिरत बायो फर्टिलाइजर का मानकीकरण, बायो- खद उन्नयन, बायोगैस प्योरिफिकेशन प्रणालियों का

विकास, विद्युत उत्पादन के लिए सक्षम बायोगैस इंजिन का विकास शामिल है।

- पवन में, बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में पवन टर्बाइन प्रणाली डिजाइन, एकीकरण, अपतटीय प्रौद्योगिकी और पवन सौर हाइब्रिड प्रणालियां शामिल हैं।
- लघु पन बिजली (एसएचपी) में, बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में अल्ट्रा-लो हैड टर्बाइन (3 एम से नीचे), जनरेटर, निगरानी प्रणालियां, पंप भंडारण प्रणालियां आदि शामिल हैं।
- हाइड्रोजन और फ्यूल सेल में आर एंड डी से विभिन्न फीडस्टॉक से हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण के लिए प्रौद्योगिकी और स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट अनुप्रयोगों आदि के लिए सक्षम और किफायती फ्यूल सेल के विकास पर बल दिया जाएगा।"

## अध्याय - सात

### नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)/स्वायत्त शाषी संस्थाएं

**7.1** इस मंत्रालय की सहायता के लिए, पांच संस्थान हैं अर्थात् दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम- भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) और भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी) तथा तीन स्वायत्त निकाय - राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस), राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे) और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (नीबे)।

**7.2** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)/स्वायत्त शाषी संस्थाओं हेतु वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आबंटन से संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ब्योरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	संस्था	उद्देश्य/ महत्वपूर्ण क्षेत्र	बजट अनुमान 2022-23 (करोड़ रुपए में)
1	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (इरेडा)	यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु सावधि ऋण प्रदान करती है	-
2	भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी)	यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत कंपनी है। यह राष्ट्रीय सौर मिशन के लिए कार्यान्वयनकारी और निष्पादनकारी स्कंध के रूप में कार्य करती है	-
3	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस)	यह सौर ऊर्जा अनुसंधान और विकास हेतु तकनीकी केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करता है	16.00
4	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे)	यह पवन ऊर्जा अनुसंधान और विकास हेतु तकनीकी केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करता है	22.00
5	राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (नीबे)	यह जैव ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है	7.00

## (क) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (इरेडा)

7.3 विगत वर्षों के दौरान इरेडा के वित्तीय निष्पादन का ब्योरा मंत्रालय द्वारा निम्नानुसार दिया गया है-

(करोड़ रुपये में)

मानक	2018-19	2019-20	2020-21
ऋण स्वीकृति	11,942	12,696	11,001
ऋण वितरण	9,385	8,785	8,827
कुल आय	2,022	2,372	2,659
पीबीटी	311	241	570
पीएटी	250	215	346
एनपीए% (सकल)	6.12%	10.08%	8.77%
एनपीए% (निवल)	3.74%	7.18%	5.61%
कुल मूल्य	2,584	2,521	2,995
ऋण बही	20,888	22,811	26,923
प्रति शेयर आय (वार्षिक)	3.19	2.73	4.42
सीआरएआर (%)	16.32%	14.34%	17.12%
एमओयू रेटिंग	बहुत अच्छा	ठीक-ठाक	उत्कृष्ट

7.4 सरकार द्वारा इरेडा में 1,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजी निवेश का उपयोग करने के लिए इरेडा की ऋण योजना के विषय में पूछे जाने पर मंत्रालय ने यह बताया:-

"सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पूंजी निवेश किए जाने के साथ ही इरेडा का उद्देश्य है:

- अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को 12,000 करोड़ (लगभग) का ऋण देना, जिससे करीब 3500 से 4000 मेगावाट अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए ऋण की मांग में सुविधा होगी।
- अपना नेटवर्थ बढ़ाना, जिससे अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण में मिलेगी, इस प्रकार सरकार के अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान होगा।



- अपने पूंजी-जोखिम भारत परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) को सुधारना ताकि इसके ऋण प्रदान करने और उधारी के प्रचालनों में सहायता मिल सके।
- अपने 13.90 करोड़ रुपए के शेयर के शुरुआती पब्लिक ऑफर (आईपीओ) लाना ताकि अपनी आगे की 5 वर्षीय कारोबारी योजना में निर्धारित लक्ष्यों के प्रयोजन से पूंजी की जरूरत पूरी हो सके। साथ ही, डीआईपीएएम (दीपम) ने भी आईपीओ के साथ 1500 करोड़ रुपए के भारत सरकार के इक्विटी निवेश के बाद 10 प्रतिशत की बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) के लिए अपना प्रस्ताव भेजा है।“

### (ख) भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी)

7.5 1000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का उपयोग करने के उद्देश्य से सेकी की ऋण योजना के बारे के प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:

"वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21.01.2022 को सेकी में 1000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश के लिए एमएनआरई के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। सेकी अतिरिक्त नई इक्विटी का निम्नलिखित के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है:

- अपनी परियोजनाओं का वित्तपोषण करना, जिसमें इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाएं चरणबद्ध ढंग से स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। करीब 3300 मेगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा परियोजना क्षमता वित्त वर्ष 2025-26 तक स्थापित किए जाने की योजना है।
- सेकी के नेटवर्थ को मजबूत करने के लिए सस्ती दरों पर अतिरिक्त संसाधन जुटाना, ताकि हस्ताक्षरित किए गए दीर्घावधिक पीपीए से उत्पन्न भुगतान दायित्व पूरे हो सकें। चूंकि सेकी ऐसी परियोजनाओं के लिए पीपीए प्रति पक्षकार है, जो निविदा के ज़रिए स्थापित की जाती हैं जिनमें सेकी के पास, हस्ताक्षरित किए गए दीर्घावधिक पीपीए से उत्पन्न भुगतान देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नेटवर्थ के साथ सशक्त तुलन पत्र होना चाहिए। अधिक नेटवर्थ होने से बेहतर क्रेडिट रेटिंग होगी, जिससे क्षेत्रगत निवेश के लिए सेकी के पीपीए की क्रेडिबिलिटी में सुधार

होगा। सशक्त तुलन पत्र होने से सेकी, यदि डिस्कॉमों द्वारा भुगतान में विलंब होता है तो आंतरिक संसाधन जुटाकर या अल्पकालिक ऋण जुटाकर समय पर भुगतान करने में सक्षम भी होगा जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।“

### (ग) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस)

7.6 विगत वर्षों के लिए नाइस को मिले वित्तीय आबंटन की तुलना में किया गया उपयोग का ब्योरा मंत्रालय द्वारा इस प्रकार दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	बीई	आरई	व्यय
2018-19	18.00	18.00	18.11
2019-20	15.00	13.00	16.47
2020-21	5.00	13.00	13.73
2021-22	19.50	15.04	13.66 (28-2-2022 की स्थिति के अनुसार)

7.7 मंत्रालय ने बताया है कि निधियों का कोई महत्वपूर्ण गैर-उपयोग/अति-उपयोग नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 4.66 करोड़ रुपये की राशि कैरी फॉरवर्ड के रूप में शेष थी।

### (घ) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे)

7.8 विगत वर्षों के लिए नीवे को मिले वित्तीय आबंटन की तुलना में किया गया उपयोग का ब्योरा मंत्रालय द्वारा इस प्रकार दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	उपयोग में ली गई राशि
2019-20	17	23	23
2020-21	1.5	13.5	13.5
2021-22	20.84	20.84	8.3319 (14.02.2022 की स्थिति के अनुसार, शेष राशि का उपयोग मार्च 2022 तक किए जाने की संभावना है)

### (इ) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (नीबे)

7.9 विगत वर्षों के लिए नीबे को मिले वित्तीय आबंटन की तुलना में किया गया उपयोग का ब्योरा मंत्रालय द्वारा इस प्रकार दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	उपयोग	टिप्पणियां
2017-18	8.00	1.00	1.00	वास्तविक व्यय 204.03 लाख रुपए था। 104.03 की राशि जो अनुदान के अतिरिक्त था। पिछले वर्ष के अग्रेषित अनुदान 531.02 लाख रुपए से किया गया था। 426.98 की शेष राशि (51.45 लाख का बैंक ब्याज सहित) को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया गया।
2018-19	3.00	1.00	1.00	वास्तविक व्यय 285.11 लाख रुपए था। जिसमें से अतिरिक्त 185.11 रुपए की राशि का उपयोग पिछले वर्ष के अनुदान (426.98 लाख रुपए) से अग्रेषित किया गया। बैंक का ब्याज 40.39 के साथ शेष अतिरिक्त राशि 241.86 लाख अर्थात् कुल 282.25 लाख रुपए सरकार को वापस कर दिया गया था।
2019-20	3.00	0.70	0.66	जी आईए पूंजी के 4.00 लाख रुपए का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि इसे वर्ष के अंत में जारी किया गया। तथापि सामान्य तथा वेतन शीर्ष के अंतर्गत 169.14 लाख रुपए का वास्तविक व्यय हुआ था। अतः अनुदान के अलावा 103.14 रुपए की अतिरिक्त राशि का उपयोग हुआ। बैंक का ब्याज 1.50 लाख रुपए का और 101.64 लाख रुपए के अतिरिक्त व्यय को शाषी परिषद के अनुमोदन के बाद कार्पस फंड (जो 2018-19 के दौरान 185.47 लाख रुपए का था) के ब्याज से समायोजित किया गया।

2020-21	1.50	4.70.	4.70	वास्तविक व्यय 473.06 लाख रुपए था। कोई भी राशि पिछले वर्ष के अनुदान में अग्रेषित नहीं किया गया। 34.83 लाख रुपए की शेष राशि तथा 34.22 लाख रुपए का ब्याज सरकार को वापस किया गया।
2021-22	8.33	4.69	4.69 28-02-2022 की स्थिति के अनुसार	पिछले वर्ष का कोई अग्रेषित अनुदान नहीं है। 31-03-2022 तक वास्तविक व्यय को 4.69 करोड़ रुपये परिकल्पित किया गया है

**7.10** मंत्रालय ने बताया कि संस्थान में जनशक्ति अत्यधिक अभाव और कोविड -19 की बाधा के कारण वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है।

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

मंत्रालय का कार्य आवंटन

1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। समिति ने यह नोट किया है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1981 में आयोग के रूप में एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया जिसे 1982 में एक विभाग बना दिया गया और 1992 में इस विभाग को गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बना दिया गया। यह आश्चर्य की बात है कि तीस वर्ष पुराने एक मंत्रालय को अपने दिशानिर्देश तैयार करने और उन्हें जारी करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि विद्युत अधिनियम का कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अतः यह आवश्यक है कि इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी रखने के लिए ग्रिड से जुड़ी विद्युत संबंधी कार्यकलापों को एक ही प्रशासनिक इकाई के तहत रखा जाना चाहिए। तथापि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को पारेषण और वितरण का उत्तरदायित्व सौंपे बिना केवल नवीकरणीय विद्युत के उत्पादन के लिए ही उत्तरदायी बनाए रखने से सही जानकारी सामने नहीं आ पाती। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में भारत का अग्रणी स्थान है और भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 500 गीगावॉट तक वृद्धि करने और इस संबंध में वर्ष 2070 तक कार्बन के उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि विद्युत से जुड़ी सभी केन्द्रीय प्रशासनिक इकाइयों को सुव्यवस्थित बनाया जाए और विद्युत क्षेत्र में तालमेल स्थापित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए ताकि प्रशासनिक सुविधा हेतु और इस क्षेत्र से संबन्धित सभी मामलों में नीति निर्माण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सभी स्रोतों से विद्युत के पारेषण

और वितरण को एक ही प्रशासनिक मंत्रालय के तहत लाया जा सके और इससे संबंधित सभी मामलों में नीति निर्माण में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस दिशा में पहल करे और समिति को परिणाम से अवगत कराये ।

### मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23)

2. समिति ने नोट किया है कि मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 11449 करोड़ रुपये की बजटीय आवश्यकता का अनुमान लगाया है, लेकिन वास्तव में केवल 6900.68 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 20% अधिक है। समिति का कहना है कि मंत्रालय का लगभग 73% बजट केवल दो घटकों अर्थात् सौर ऊर्जा (ग्रिड) और 'कुसुम' योजना के लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा, बजट का लगभग 20% पूर्व देयताओं को पूरा करने और ब्याज का भुगतान करने के लिए आवंटित किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि मंत्रालय केवल दो कार्यक्रमों अर्थात् ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा, जिसमें 'रूफ-टॉप' और 'कुसुम' योजना शामिल है, पर ही सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। तथापि, मंत्रालय ने यह बताया है कि देश में ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा की अधिकांश परियोजनाओं को बिना किसी केन्द्रीय वित्तीय सहायता के निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछले रुझानों से यह भी पता चलता है कि मंत्रालय पिछले वर्षों के दौरान अपने बजटीय आवंटनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाया। इसका तात्पर्य यह है कि आवंटित निधियां आवश्यकता से अधिक हैं और मंत्रालय, वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटन की प्रक्रिया के दौरान अपनी मांगों का औचित्य सिद्ध नहीं कर सका। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को आगामी वित्त वर्ष के दौरान अपने आवंटित बजट का पूरी तरह से उपयोग करने पर पर ध्यान देना चाहिए और तत्पश्चात अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए और अधिक निधियों के आवंटन की आवश्यकता का औचित्य सिद्ध करना चाहिए।

## बजट आवंटन और उपयोग

3. समिति ने नोट किया है कि पिछले वर्षों के दौरान मंत्रालय को संशोधित अनुमानों के स्तर पर कुल बजटीय सहायता में काफी कमी आई है। वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 हेतु बजट आवंटन में क्रमशः लगभग 26% और 38% की कमी की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, हालांकि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि संशोधित अनुमान में 1928.80 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इक्विटी इन्फ्यूजन के रूप में भारत सरकार द्वारा दिए गए क्रमशः 1500 करोड़ रुपये और 1000 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसलिए, 2021-22 के लिए संशोधित अनुमानों के समय भी मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए बजटीय सहायता में वास्तविक कमी की गई है। समिति ने यह पाया है कि मंत्रालय पिछले वर्षों के दौरान कम किए गए आवंटनों का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाया है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 (जनवरी, 2022 तक) के दौरान संशोधित बजटीय आवंटनों का क्रमशः 91.53%, 86.24% और 61.75% ही उपयोग किया है। समिति को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ है कि इस तरह के महत्वपूर्ण और प्रगतिशील क्षेत्र में निधियां खर्च नहीं की जाती हैं। इसके अलावा, निधियों की मांग, आवंटन और वास्तविक उपयोग में इस तरह की विसंगति स्पष्ट रूप से मंत्रालय द्वारा खराब वित्तीय नियोजन की ओर इशारा करती है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपनी बजट निर्माण प्रक्रिया सुव्यवस्थित करनी चाहिए ताकि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित निधियों का एक यथार्थवादी और आवश्यकता-आधारित अनुमान प्रस्तुत किया जा सके और आवंटित निधियों के बेहतर उपयोग के लिए इसकी प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि की जा सके।

## वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

4. समिति नोट करती है कि 31 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार देश में 105.85 गीगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित की गई है, जो 175 गीगावाट के समग्र लक्ष्य का लगभग 60% है। समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि मंत्रालय अपने वार्षिक वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार विफल रहा है। वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए 15,555 मेगावाट, 12,252 मेगावाट और 12,880 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की तुलना में, मंत्रालय क्रमशः लगभग 44%, 28% और 42% की कमी के साथ केवल 8,760.57 मेगावाट, 8,843.29 मेगावाट और 7,549.64 मेगावाट क्षमता ही प्राप्त कर सका। इसी प्रकार, वर्ष 2021-22 के दौरान 19,635.90 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2022 तक 10,050.74 मेगावाट नवीकरणीय विद्युत ही संस्थापित की जा सकी जो कि दिए गए लक्ष्य का केवल 51 प्रतिशत है। समिति यह महसूस करती है कि सौंपे गए वार्षिक वास्तविक लक्ष्यों को निरंतर प्राप्त न करने के कारण, यह पूरी तरह असंभव लगता है कि वर्ष 2022 के अंत तक 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। मंत्रालय का कार्य-निष्पादन नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के संबंध में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दर्शाई गई हमारी महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं और की गई घोषणाओं के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। इतनी कम उपलब्धि को देखते हुए मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। वर्ष 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट करने की भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, समिति आशा करती है कि मंत्रालय अपने कार्य करने की गति को बढ़ाएगा और समिति मंत्रालय को लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के लिए जिम्मेदार कारकों का बारीकी से आकलन और जांच करने तथा बिना किसी देरी के सुधारात्मक उपाय करने की सिफारिश करती है ताकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक



प्राप्त किया जा सके। मंत्रालय को परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी भी करनी चाहिए और उन्हें चालू करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन भी सुनिश्चित करना चाहिए।

### सोलर रूफ-टॉप कार्यक्रम

5. समिति नोट करती है कि इस वर्ष के अंत तक प्राप्त किए जाने वाले 40 गीगावाट के समग्र लक्ष्य की तुलना में, देश में 5.87 गीगावाट की रूफ-टॉप सौर परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं, जो लक्ष्य के 15% से भी कम है। समिति सोलर रूफ-टॉप कार्यक्रम के संबंध में मंत्रालय के कमजोर निष्पादन से चिंतित है और यह मानती है कि इस क्षेत्र में मंत्रालय के अभी तक के निष्पादन को देखते हुए, 40 गीगावाट क्षमता की संस्थापना हेतु सोलर रूफ-टॉप लक्ष्य को इतनी धीमी गति के साथ 2022 के अंत तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह पाया गया है कि बुनियादी स्तर पर सूचना उपलब्ध नहीं होने, जनता में इस योजना के बारे में जागरूकता की कमी, इसे संस्थापित करने में लगने वाला समय और जटिल प्रक्रियाओं, राजसहायता के संवितरण में होने वाले विलंब आदि के कारण रूफ-टॉप सिस्टम उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक साबित नहीं हो पा रहे हैं। अतः समिति सिफारिश करती है कि:

(एक) मंत्रालय को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में राजसहायता संवितरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को लागू करने की संभावना का पता लगाना चाहिए ताकि इस प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल एवं तेज बनाया जा सके।

(दो) मंत्रालय को सरकार द्वारा सोलर रूफ-टॉप विद्युत प्रणाली के लिए प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों के संबंध में लोगों को जागरूक बनाने के लिए देशी भाषाओं में मुद्रित सभी समाचार-पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर व्यापक रूप से प्रचार करना चाहिए।

(तीन) देश के सभी जिलों में वन-स्टॉप-सॉल्यूशन सेंटर्स बनाए जाने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सहायता/सेवाएं/सूचना उपलब्ध कराई जा सके और उन्हें

निर्बाध रूप से सोलर रूफ टॉप प्रणाली अधिष्ठापित कराने की सुविधा प्रदान की जा सके।

### ऑफ-ग्रिड/विकेंद्रित सौर कार्यक्रम

6. समिति नोट करती है कि ऑफ-ग्रिड एवं विकेंद्रित सौर अनुप्रयोग कार्यक्रम को मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 की तिथि से समाप्त कर दिया गया है। इस कार्यक्रम का आरंभ निम्न क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए किया गया ऐसे क्षेत्र जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली नहीं पहुंची है या बिजली आपूर्ति में सुनिश्चितता नहीं है; उत्तर-पूर्वी राज्यों के पिछड़े और दूर-दराज वाले क्षेत्र; वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) से प्रभावित जिले आदि। यद्यपि इस कार्यक्रम के उद्देश्य अत्यंत प्रशंसनीय थे, किंतु समिति यह देखकर क्षुब्ध है कि इस कार्यक्रम को अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के बिना ही समाप्त कर दिया गया। मंत्रालय ने निवेदन किया है कि इस योजना के संबंध में दिशा-निर्देश को अगस्त, 2008 में जारी किया गया और इसके कार्यान्वयन में आम चुनाव, 2019 हेतु आचार संहिता के लागू हो जाने और कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण विलंब हुआ। मंत्रालय द्वारा बताए गए कारणों से यह स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत के पश्चात इसे पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इसी प्रकार, अटल ज्योति योजना (अजय) को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वर्ष 2020 में सरकार द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) योजना को रोक दिया गया था। किंतु, नवंबर, 2021 में एमपीलैड योजना के पुनः शुरु किए जाने के बावजूद भी अजय योजना को पुनः लागू नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑफ ग्रिड एवं विकेंद्रित और अनुप्रयोग के माध्यम से पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ऊर्जा तक पहुंच को बढ़ाई जा सकती है, समिति सिफारिश करती है कि ऑफ-ग्रिड एवं विकेंद्रित और अनुप्रयोग कार्यक्रम तथा अजय योजना को पुनः लागू किया जाना चाहिए। मंत्रालय को जमीनी स्तर पर इन कार्यक्रमों को बेहतर

ढंग से कार्यान्वित करने के लिए इनका मूल्यांकन करना चाहिए और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को शामिल करना चाहिए।

### प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना (पीएम-कुसुम योजना)

7. समिति नोट करती है कि पीएम-कुसुम योजना का लक्ष्य 34,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से वर्ष 2022 के अंत तक सौर क्षमता में 30.80 गिगावाट की वृद्धि करना है। समिति पाती है कि कंपोनेंट ए के तहत ग्रिड-संपृक्त सौर विद्युत संयंत्रों के 1000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में, मात्र 27.75 मेगावाट ही अधिष्ठापित किया जा सका। कंपोनेंट बी के तहत, 20 लाख स्वतंत्र सौर पंपों के लक्ष्य की तुलना में, मात्र 78,940 पंप ही अधिष्ठापित किए गए हैं। कंपोनेंट सी के तहत 15 लाख ग्रिड-संपृक्त सौर कृषि पंपों के लक्ष्य की तुलना में मात्र 1026 पंप ही सौर ऊर्जा से चलाए जा रहे हैं। समिति इस योजना के तहत मंत्रालय के निराशाजनक प्रदर्शन से अत्यंत क्षुब्ध है। यह पाया गया है कि किसानों को लघु सौर संयंत्रों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और अधिकांश राज्य इस योजना के तहत अपने हिस्से की राजसहायता उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि उसने फीडर लेवल सोलराइजेशन आरंभ किया है और कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है। समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने ऐसी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है जो इस योजना के कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते रहे हैं। पर्याप्त धनराशि की कमी की समस्या का समाधान करने एवं किसानों के वित्तीय भार को और कम करने के लिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय किसानों के हिस्से की धनराशि का भुगतान एमपीलैंड योजना के माध्यम से किए जाने की अनुमति प्रदान करे। मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ भी समन्वय स्थापित करना चाहिए और परामर्श करना चाहिए तथा राज्य सरकारों को इस योजना में भागीदारी करने हेतु सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए।

## जैव ऊर्जा कार्यक्रम

8. समिति ने नोट करती है कि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के कार्यक्रम और नए राष्ट्रीय बायो-गैस और जैविक खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी) सहित जैव ऊर्जा कार्यक्रम को मंत्रालय द्वारा बंद कर दिया गया है। यह देखा गया है कि मंत्रालय 2019-20 से बायोमास बिजली के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है, हालांकि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के कार्यक्रम के तहत, वास्तविक भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है लेकिन कम धनराशि का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, एनएनबीओएमपी के तहत भौतिक और वित्तीय लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की व्यापक योजना के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था लेकिन वित्त मंत्रालय प्रस्ताव से सहमत नहीं था। समिति को अवगत कराया गया है कि नगरपालिका अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के क्षेत्र में प्रगति हो रही है और मंत्रालय को नगर निगम के कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने के 27 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। समिति चाहती है कि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के कार्यक्रम को जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि ऊर्जा उत्पादन के लिए कृषि अपशिष्ट/अवशेषों का उपयोग करने से पराली जलाने को कम करने और उससे वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने का अतिरिक्त लाभ मिलता है। इसी तरह, बायो-गैस संयंत्र न केवल ग्रामीण लोगों की खाना पकाने की ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं बल्कि उन्हें आर्गेनिक जैव-खाद भी प्रदान करते हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ कार्यवाही करनी चाहिए और इन कार्यक्रमों को जारी रखने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए।

## लघु जल विद्युत

9. समिति नोट करती है कि लघु जल विद्युत कार्यक्रम को दिनांक 31 मार्च, 2017 से बंद कर दिया गया था और तब से, बजट आवंटन का उपयोग केवल पुरानी देनदारियों को निपटान करने के लिए किया गया है। मंत्रालय ने समिति को अवगत कराया है कि लघु पनबिजली के लिए एक नई योजना

तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह योजना जल्द ही लागू किए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय के पास पिछले पांच वर्षों से लघु जल विद्युत के लिए कोई योजना नहीं है और यह अभी भी प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को पिछले लघु जल विद्युत कार्यक्रम के तहत अपने कार्य-निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के बाद समयबद्ध तरीके से नई योजना बनानी चाहिए कि पिछले कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले कारकों को नई योजना में दूर कर दिया गया है।

### हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी)

10. समिति नोट करती है कि 3200 सीकेएम पारेषण लाइनों की कुल लम्बाई और 17000 एमवीए सबस्टेशनों वाले हरित ऊर्जा गलियारे (जीईसी) के अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) घटक को पूरा कर लिया गया है, जबकि जीईसी परियोजना के अंतर-राज्यीय घटक जो संबंधित राज्य के राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, में विलंब हुआ है और कई बार समयसीमा बढ़ाई गई है। समिति का मानना है कि 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार 9700 सीकेएम के कुल लक्ष्य में से कुल 8468 सीकेएम पारेषण लाइनों का निर्माण किया गया है और कुल 22600 एमवीए के लक्ष्य में से कुल 15268 एमवीए सबस्टेशनों को चार्ज किया गया है। इसका तात्पर्य है कि 30 जून, 2022 की बढ़ाई हुई समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए 1232 सीकेएम पारेषण लाइनों का निर्माण किया जाना है और 7332 एमवीए सबस्टेशन को चार्ज करना है। समिति जीईसी के अंतर्राज्यीय घटक को अत्यधिक विलंब से क्रियान्वित करने के बारे में चिंतित है। नवीकरणीय ऊर्जा संपन्न राज्यों से बिजली लेने की परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को संबंधित राज्यों के साथ इस मामले को उठाना चाहिए और दी गई समय सीमा के भीतर हरित ऊर्जा गलियारा

तैयार करना चाहिए ताकि ग्रिड पर दबाव से बचा जा सके और बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा क्षमता ली जा सके।

### पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अक्षय ऊर्जा

11. समिति नोट करती है कि मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए अपने वार्षिक बजट के 10% के उपयोग के संबंध में अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाया है। वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 504.53 करोड़ रु., 375 करोड़ रु. और 335 करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलनों की तुलना में क्रमशः 122.41 करोड़ रु., 128.09 करोड़ रु. और 107.41 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं, जिससे क्रमशः 76 प्रतिशत, 66 प्रतिशत और 68 प्रतिशत राशि अव्यतित रह गई। 2021-22 के लिए 499 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान की तुलना में 31 जनवरी 2022 तक केवल 38.62 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया गया है। यह बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधि के उपयोग में काफी कमी आई है। यह देखा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटी पनबिजली की पर्याप्त संभावनाएं हैं; हालांकि, मंत्रालय का लघु-पनबिजली कार्यक्रम अप्रैल, 2017 से विचाराधीन है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्य मंत्रालय की ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रीकृत योजनाओं में रुचि रखते हैं, लेकिन, मंत्रालय द्वारा अटल ज्योति योजना (अजय) जैसी योजना, ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम आदि को बंद कर दिया गया है/रोक दिया गया है। समिति यह नोट करके हैरान है कि एक ओर मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्तावों की कमी के बारे में शिकायत कर रहा है और दूसरी ओर, संबंधित योजनाएं या तो लगभग पांच वर्षों से विचाराधीन हैं या बंद कर दी गई हैं या उन्हें रोक दिया गया है। अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को ऑफ-ग्रिड/विकेन्द्रीकृत सौर अनुप्रयोगों और लघु जल विद्युत के लिए नई योजनाओं/कार्यक्रमों को तैयार करते समय पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकताओं पर समुचित विचार करना चाहिए और उन्हें उचित प्राथमिकता देनी चाहिए और इस क्षेत्र में

नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए।

### अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास

12. समिति नोट करती है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2021-22 के लिए अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान और विकास के लिए बजटीय आवंटन में संशोधित अनुमानों के समय काफी कमी की गई थी, जबकि इस मामले में वित्तीय वर्ष 2020-21 अपवाद है। वर्ष 2018-19 में, 94 करोड़ के बजट अनुमान को संशोधित स्तर पर लगभग 54% कम करके 43 करोड़ रुपये कर दिया गया; वर्ष 2019-20 में, 60 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को 75% कम करके 15 करोड़ रुपये कर दिया गया और 2021-22 में, 75 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को कम करके 27.50 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह पाया गया है कि मंत्रालय द्वारा काफी कम किए गए आवंटन का भी पूरा उपयोग नहीं किया जा सका। 2020-21 में, 20 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को संशोधित स्तर पर बढ़ाकर 49 करोड़ रुपये कर दिया गया था लेकिन पुनः मंत्रालय आवंटन का पूरा उपयोग नहीं कर सका। समिति महसूस करती है कि निरंतर विकास के लिए अनुसंधान और विकास में पर्याप्त निवेश एक पूर्व-आवश्यकता है और आवंटित धन का उपयोग करने में मंत्रालय की लगातार अक्षमता इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के प्रति उसके आकस्मिक दुलमुल रवैये को दर्शाती है। इसलिए समिति प्रशंसा करती है कि मंत्रालय को आवंटित निधि के अधिकतम उपयोग पर ध्यान देना चाहिए ताकि स्वीकृत राशि के कम उपयोग के कारण अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन, प्रदर्शन और विकास प्रभावित न हो। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों और विशेष अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करे और उन्हें धन उपलब्ध कराए।

## राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान

13. समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है जो जैव ऊर्जा में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मंत्रालय ने बताया है कि संस्थान जनशक्ति की काफी कमी होने के कारण अपने वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान में तकनीकी और वैज्ञानिक जनशक्ति की भारी कमी का मुद्दा उठाया था। सितंबर 2020 में, मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तरों में बताया कि भर्ती प्रक्रियाधीन थी और इसके जल्द ही पूरा होने की उम्मीद थी। हालांकि, समिति ने पाया कि कमी अभी भी बनी हुई है जिससे स्पष्ट रूप से संस्थान की दक्षता प्रभावित हुई है। यह भी ध्यान में आया है कि संस्थान में कम से कम पिछले 2 वर्षों से कोई नियमित महानिदेशक नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को महानिदेशक के साथ-साथ अन्य तकनीकी और वैज्ञानिक पदों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ताकि संस्थान ठीक से काम कर सके और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

नई दिल्ली

मार्च 15, 2022

फाल्गुन 24, 1943 (शक)

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह

सभापति

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति



**अनुबंध - एक**

**2021-22 के बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) की तुलना में 2022-23 के बजट अनुमानों और 2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण**

(रु करोड़ में)									
		वास्तविक		ब. अ.		सं. अ.		ब. अ.	
		2020-21		2021-22		2021-22		2022-23	
		राजस्व	पूंजी.	राजस्व	पूंजी.	राजस्व	पूंजी.	राजस्व	पूंजी.
<b>क.</b>	<b>केन्द्र का व्यय</b>								
<b>I</b>	<b>स्थापना व्यय</b>								
3451	सचिवालय आर्थि सेवाएं	34.15		49.05		44.30		56.01	
4810	कार्यालय भवन		162.97		10.00		110.00		11.74
<b>कुल- स्थापना व्यय</b>		<b>34.15</b>	<b>162.97</b>	<b>49.05</b>	<b>10.00</b>	<b>44.30</b>	<b>110.00</b>	<b>56.01</b>	<b>11.74</b>
<b>II</b>	<b>केन्द्रीय क्षेत्र योजना</b>								
<b>2</b>	<b>एमएनआरई की योजनाएं</b>								
<b>2.01</b>	<b>ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत</b>								
2810	पवन विद्युत	1059.35		1100.00		1100.00			
2810	पन विद्युत	38.78		90.00		65.50			
2810	जैव विद्युत	6.22		120.00		56.85			
2810	सौर विद्युत	1049.85		2369.13		2475.26			
2810	हरित ऊर्जा कारिडोर	159.53		300.00		150.00			
2810	बांडों पर ब्याज भुगतान और जारी करने का व्यय	124.37		124.35		124.35			
2810	कुसुम	30.00		221.00		150.00			
<b>कुल - ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत</b>		<b>2468.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4324.48</b>	<b>0.00</b>	<b>4121.96</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.02</b>	<b>ऑफग्रिड/वितरित और विकेन्द्रीकृत अक्षय विद्युत</b>								
2810	पवन विद्युत	1.32		0.00		0.00			
2810	पन विद्युत	1.99		2.00		0.50			
2810	जैव विद्युत	11.68		70.00		36.48			
2810	सौर विद्युत	149.43		237.00		210.00			
2810	बायोगैस कार्यक्रम	31.74		95.00		25.00			
2810	अन्य अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोग (सौर शहर, हरित भवन, अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोगों का प्रदर्शन, कुकस्टोव आदि)	0.02		0.20		0.20			
2810	कुसुम	126.43		776.30		540.26			
<b>कुल- ऑफग्रिड/वितरित और विकेन्द्रीकृत अक्षय विद्युत</b>		<b>322.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1180.50</b>	<b>0.00</b>	<b>812.44</b>	<b>0.00</b>		

2.03	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमलाप								
2810	अनुसंधान एवं विकास	36.47			75.00		27.50		
कुल - अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमलाप		36.47	0.00		75.00	0.00	27.50	0.00	
2.04	प्रायोजित कार्यक्रम								
2810	निगरानी/मूल्यांकन और अन्य अध्ययन	0.00			0.30		0.10		
2810	सूचना, शिक्षा और संचार	1.60			8.00		2.00		
2810	अंतर्राष्ट्रीय संबंध -	20.30			20.00		3.40		
2810	मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण	19.33			37.00		20.10		
कुल - सहायता कार्यक्रम		41.23	0.00		65.30	0.00	25.60	0.00	
2.05	सौर ऊर्जा								
2810	सौर विद्युत (ग्रिड)							3304.03	
2810	सौर विद्युत (ऑफग्रिड)							61.50	
2810	किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम)							1715.90	
2810	अन्य अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोग (ओकआरईए)							0.10	
2810	बांडों पर ब्याज भुगतान और जारी करने का व्यय							124.36	
कुल - सौर ऊर्जा								5205.89	0.00
2.06	जैव विद्युत कार्यक्रम								
2810	जैव विद्युत (ग्रिड)							50.00	
2810	जैव विद्युत (ऑफग्रिड)							20.00	
2810	बायोगैस कार्यक्रम (आफ ग्रिड)							30.00	
कुल - सौर ऊर्जा कार्यक्रम								100.0	0.00
2.07	पवन और अन्य अक्षय ऊर्जा के लिए कार्यक्रम								
2810	पवन विद्युत (ग्रिड)							1050.00	
2810	पन विद्युत (ग्रिड)							50.00	
2810	पन विद्युत (ऑफग्रिड)							2.00	
कुल-पवन और अन्य अक्षय ऊर्जा के लिए कार्यक्रम								1102.00	0.00
2.08	सहायता कार्यक्रम								
2810	निगरानी और मूल्यांकन							0.10	
2810	सूचना और सार्वजनिक विज्ञापन (आईएंड पीए)							6.00	
2810	मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण							30.93	
2810	अंतर्राष्ट्रीय संबंध							8.00	
2810	अनुसंधन एवं विकास							35.00	
कुल - सहायता कार्यक्रम								80.03	0.00
2.09	हाइड्रोजन मिशन								
2810	राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन							0.01	
कुल हाइड्रोजन मिशन								0.01	0.00

2.10	भंडारण एवं पारेषण								
2810	हरित ऊर्जा कारिडोर							300.0 0	
कुल- भंडारण एवं पारेषण								300.0 0	0.00
कुल - केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं		2868. 41	0.00	5645.28	0.00	4987.5 0	0.00	6787. 93	0.00
III	अन्य केन्द्रीय व्यय								
3	स्वायत्त निकाय								
2810	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	13.50		20.84		20.00		22.00	
2810	राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान	4.70		8.33		4.96		7.00	
2810	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	13.00		19.50		15.04		16.00	
कुल - स्वायत्त निकाय		31.20	0.00	48.67	0.00	40.00	0.00	45.00	0.00
सीपीएसई में निवेश									
4810	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)	0.00		0.00		1500.0 0		0.00	
4810	भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी)	0.00		0.00		1000.0 0		0.00	
कुल - सीपीएसई में निवेश		0.00	0.00	0.00	0.00	2500.0 0	0.00	0.00	0.00
कुल		2933. 76	162.97	5743.00	10.00	5071.8 0	2610.00	6888. 94	11.74

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की दिनांक 22 फरवरी, 2022 को समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक 1400 बजे से 1530 बजे तक आयोजित हुई ।

**लोक सभा**

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति**

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
4. श्री किशन कपूर
5. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
6. श्री सुनील कुमार मंडल
7. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
8. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल
9. श्री दीप सिंह शंकरसिंह राठौड़
10. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर

**राज्य सभा**

11. श्री राजेन्द्र गहलोत
12. श्री एस. सेल्वागनबेथी
13. श्री के.टी.एस. तुलसी

**सचिवालय**

1. श्री आर.सी. तिवारी - अपर सचिव
2. डॉ. राम राज राय - संयुक्त सचिव
3. श्री आर. के. सूर्यनारायण - निदेशक
4. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

## साक्षी

### नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

1. श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी - सचिव
2. श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन - संयुक्त सचिव एवं एफए
3. डॉ. वंदना कुमार - संयुक्त सचिव
4. श्री जे राजेश कुमार - आर्थिक सलाहकार
5. श्री अरविंद कुमार - मुख्य लेखा नियंत्रक

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय

6. श्री प्रदीप कुमार दास - सीएमडी, इरेडा
7. सुश्री सुमन शर्मा - एमडी, एसईसीआई
8. श्री दिनेश दयानंद जगदाले - संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक, एनआईबीई
9. डॉ. के. बलरामन - महानिदेशक, एनआईबीई
10. श्री जी. उपाध्याय - वैज्ञानिक - जी एंड डीजी, एनआईएसई

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया और सूचित किया कि यह बैठक मंत्रालय के (2022-23) की अनुदान की मांगों की जांच के संबंध में साक्ष्य के लिए बुलाई गई थी। सभापति ने उन्हें माननीय अध्यक्ष के निदेश 55(1) और 58 के निदेशों के प्रावधानों से भी अवगत कराया।

3. चर्चा के दौरान, इस विषय पर एक पावर-पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीओपी-26 में माननीय प्रधान मंत्री के पंचामृत, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का अवलोकन, गत वर्षों के दौरान प्रगति, नवीकरणीय ऊर्जा दरों में गिरावट, संरचनात्मक और कार्यक्रम हस्तक्षेप, पीएम-कुसुम योजना - प्रगति अद्यतन स्थिति, सौर पार्क, रूफ टॉप सौर चरण-II, आत्मानिर्भर भारत - सौर विनिर्माण, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पारेषण नेटवर्क, अपतटीय पवन, लद्दाख में नवीकरणीय ऊर्जा, कोविड-19 महामारी का

प्रभाव, गत तीन वर्षों के दौरान व्यय, प्रस्तावित मांग की तुलना में स्वीकृत बीई 2022-23 तथा 2022-23 के दौरान प्रस्तावित कार्रवाई, आदि।

4. समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया:

- क) जमीनी स्तर पर दिखने वालों परिणामों के साथ निधियों के बेहतर उपयोग के लिए मंत्रालय की प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता;
- ख) निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता;
- ग) सोलर रूफ-टॉप कार्यक्रम में मंत्रालय के कम कार्य-निष्पादन से संबंधित मुद्दे;
- घ) सोलर रूफ-टॉप योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता;
- ङ) कुसुम योजना की धीमी प्रगति से संबंधित मुद्दे;
- च) राज्यों को पीएम-कुसुम योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता;
- छ) कुसुम योजना के तहत एमपीलैड निधियों के उपयोग की संभावना तलाशने की आवश्यकता;
- ज) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए आवंटित निधि का उपयोग करने की आवश्यकता;
- झ) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और संबंधित चुनौतियों के कार्यान्वयन की समय-सीमा;
- ञ) 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल' के विनिर्माण हेतु उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से संबंधित मुद्दे;
- ट) पवन ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना से संबंधित मुद्दे;
- ठ) नवीकरणीय खरीद दायित्वों को लागू करने की आवश्यकता;
- ड) अप्रैल 2022 से आयोजित सौर मॉड्यूल और सेल पर क्रमशः 40 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के मूल सीमा शुल्क लगाने से संबंधित मुद्दे;
- ढ) अजय योजना, ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर कार्यक्रम, लघु जल विद्युत कार्यक्रम, शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय बायो-गैस और जैविक खाद कार्यक्रम, आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को बंद करने से संबंधित मुद्दे;

ण) इस क्षेत्र में घटती सक्रिय भागीदारी और पारेषण और वितरण से संबंधित प्रमुख नीतियों और विनियमों को विद्युत मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है को भी ध्यान में रखते हुए मंत्रालय की भविष्य में भूमिका से संबंधित मुद्दे।

5. सदस्यों ने इस विषय से संबंधित विभिन्न अन्य मुद्दों पर भी स्पष्टीकरण मांगा और मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने इसके उत्तर दिए। समिति ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निदेश दिया, जिनसे संबंधित जानकारी उनके पास तत्काल उपलब्ध नहीं थी।

*तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।*

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 15 मार्च, 2022 को समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1030 बजे से 1100 बजे तक चली।

**लोकसभा**

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति**

2. श्री सुनील कुमार मंडल
3. श्री पी. वेलुसामी
4. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
5. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
6. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
7. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
8. श्री एस.सी. उदासी

**राज्य सभा**

9. श्री अजीत कुमार भुयान
10. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
11. श्री मुजीबुल्ला खान
12. श्री एस. सेल्वागनबेथी
13. श्री संजय सेठ
14. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

**सचिवालय**

- |                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| 1. डॉ. राम राज राय          | - | संयुक्त सचिव |
| 2. श्री आर.के. सूर्यनारायणन | - | निदेशक       |
| 3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा | - | अपर निदेशक   |



2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए लिया:

- (i) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' संबंधी प्रतिवेदन।
- (ii) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' संबंधी प्रतिवेदन।
- (iii) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी प्रतिवेदन।
- (iv) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी प्रतिवेदन।

3. प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु पर चर्चा करने के पश्चात, समिति ने बिना किसी संशोधन/परिवर्तन के उपरोक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को स्वीकार किया। समिति ने सभापति को उपर्युक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

*तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।*

\*\*\*\*\*